LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Seventh Session

(Seventeenth Lok Sabha)



(Vol. XV contains Nos.11 to 18)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh
Secretary-General
Lok Sabha

Suman Arora

Joint Secretary

Mahavir Singh **Director**

Narad Prasad Kimothi Sunita Arora **Joint Director**

Sunita Thapliyal **Editor**

© 2021 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

CONTENTS

Seventeenth Series, Vol. XV, Seventh Session, 2021/1943 (Saka) No. 15, Friday, December 17, 2021/Agrahayana 26,1943 (Saka)

<u>SUBJECT</u>	PAGES
*Starred Question Nos. 281 to 284	10-25
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 285 to 300	36-106
Unstarred Question Nos. 3221 to 3450	107-744

_

^{*} The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPE	RS LAID ON THE TABLE	745-759,
		767
	IITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE	760
	DING COMMITTEE ON DEFENCE Action Taken Statements	761-763
	DING COMMITTEE ON COAL, MINES AND STEEL 27 th Report	764
ЕМРО	DING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND WERMENT 27 th to 29 th Reports	765
STANI AND C	DING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM SULTURE 301 st to 303 rd Reports	766
•	501 to 505 Reports	700
	PESS ADVISORY COMMITTEE 27 th Report	768
STATE	EMENTS BY MINISTERS	769-775
(i)(a)	Status of implementation of recommendations contained in the 314 th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Human Resource Development on Demands for Grants 2020 -2021 (Demand No. 100) pertaining to the Ministry of Women and Child Development	769
(b)	Status of implementation of recommendations contained in the 326 th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on Demands for Grants 2021-2022 pertaining to the Ministry of Women and Child Development	
	Shri Arjun Ram Meghwal	770

(ii)(a)	Status of implementation of the observations/
	recommendations contained in the 118 th and 125 th
	Reports of the Department-related Parliamentary
	Standing Committee on Health and Family Welfare on
	Demands for Grants 2020-2021 (Demand No. 42)
	pertaining to the Department of Health and Family
	Welfare, Ministry of Health and Family Welfare

771

(b) Status of implementation of the observations/
recommendations contained in the 119th and 124th
Reports of the 16 Department-related Parliamentary
Standing Committee on Health and Family Welfare on
Demands for Grants 2020-2021 (Demand No. 43)
pertaining to the Department of Health Research,
Ministry of Health and Family Welfare

Shri Mansukh Mandaviya

772

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 283rd Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants 2020-21 pertaining to the Ministry of Ports, Shipping and Waterways

Shri Arjun Ram Meghwal

773

(iv)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 1st Report of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development on Demands for Grants 2019-2020 pertaining to the Ministry of Labour and Employment

774

(b)	Status of implementation of the recommendations contained in the 5 th Report of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development on Demands for Grants 2020-2021 pertaining to the Ministry of Labour and Employment	774
(c)	Status of implementation of the recommendations contained in the 17 th Report of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development on Demands for Grants 2021-2022 pertaining to the Ministry of Labour and Employment	
	Shri Rameshwar Teli	775
BUSIN	IESS OF THE HOUSE	776-777
GOVE	RNMENT BILLS – INTRODUCED	778-781
(i)	National Anti-Doping Bill, 2021	778-779
(ii)	Wild Life (Protection) Amendment Bill, 2021	780
(iii)	Chartered Accountants, the Cost and Works Accountants	781
	and the Company Secretaries (Amendment) Bill, 2021	
MATT	ERS UNDER RULE 377	783-803
(i)	Regarding opening of three CGHS dispensaries in Gorakhpur, Uttar Pradesh	
	Shri Ravi Kishan	783
(ii)	Need to connect Ratlam to Jhabua and Alirajpur district Headquarters with four-lane road	
	Er. Guman Singh Damor	784

(iii)	Need to develop Panchkula, Haryana as a tourist place	
	Shri Rattan Lal Kataria	785
(iv)	Regarding development of tourism in Nabadwip district, West Bengal	
	Shri Jagannath Sarkar	786
(v)	Regarding expeditious construction of Forbesganj Airstrip	
	Shri Pradeep Kumar Singh	787
(vi)	Regarding expeditious construction of Bihta International Airport	
	Shri Ram Kripal Yadav	788-789
(vii)	Regarding construction of National Highways in Kalahandi Parliamentary Constituency	
	Shri Basanta Kumar Panda	790
(viii)	Regarding relaxation in age-limit in UPSC examinations	
	Shri Tirath Singh Rawat	791
(ix)	Regarding construction of Murakati Branch Canal in Jamshedpur Parliamentary Constituency	
	Shri Bidyut Baran Mahato	792-793

(x)	Need to solve the water drainage and water- logging problem arising out of construction of a railway underpass in Banaskantha Parliamentary Constituency	
	Shri Parbatbhai Savabhai Patel	794
(xi)	Regarding sanctioning of Bilara Bar Railway line	
	Shri P.P. Chaudhary	795-796
(xii)	Regarding crop cutting Report system in Odisha	
	Shri Suresh Pujari	797
(xiii)	Regarding problems afflicting textile industry	
	Shri S. Jagathrakshakan	798
(xiv)	Regarding rail connectivity in Tenkasi Parliamentary Constituency	
	Shri Dhanush M. Kumar	799
(xv)	Regarding disbursement of loan to APSDC	
	Shrimati Chinta Anuradha	800
(xvi)	Regarding alleged irregularities in implementation of PMAY –G	
	Shri Krupal Balaji Tumane	801

(xvii)	Regarding expeditious completion of bridge				
	over Saryu Canal, in Shrawasti Parliamentary				
	Constituency, Uttar Pradesh				
	Shri Ramshiromani Verma	802			
(xviii)	Regarding restoration of Haz embarkation point				
	at Kozhikode Airport.				
	Dr. M. P. Abdussamad Samadani	803			
SIIDD	OGACY (PEGIII ATION) BILL 2019				
	SURROGACY (REGULATION) BILL, 2019 Amendments made by Rajya Sabha 804-833				
	Motion to consider	804-816			
	833				
*ANNE	KURE – I				
Member	r-wise Index to Starred Questions	803			
Member-wise Index to Unstarred Questions					
*ANNE	KURE – II				
Ministry-	-wise Index to Starred Questions	811			
Ministry-wise Index to Unstarred Questions					

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK	SAE	BHA	DEB	ATES
-----	-----	-----	-----	------

LOK SABHA

Friday, December 17, 2021/ Agrahayana 26,1943 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER in the Chair]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 281.

श्री निहाल चन्द चौहान जी।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: श्री रघु राम कृष्ण राजू जी।

... (व्यवधान)

11.01 hrs

At this stage Shri Kalyan Banerjee, Dr. Mohammad Jawed, Sushri Mahua Moitra, Dr. T. Sumathy (A) Thamizhachi Thangapandian and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ जी।

... (<u>व्यवधान</u>)

(Q. 281)

... (Interruptions)

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH: Sir, during the COVID-19 pandemic, successive lockdowns have affected many sectors such as malnutrition, especially, women and children in the country. ... (*Interruptions*) The recent data tabled in the Parliament shows that out of Rs. 5302 crores allocated for POSHAN Abhiyaan in the country from the Central funds in the financial years from 2019 to 2021, only an amount of Rs. 2985 crore has been utilised. Will the hon. Minister state the reasons

behind such an under-utilisation of the allocated funds? ... (*Interruptions*) What steps are being taken by the Ministry to avoid such kind of under-utilisation of funds? ... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): Today, to speak on the issue of nutrition and the efforts taken by the Government of India and the State Governments. regrettably, I find esteemed Members of Parliament before me who are blocking this very essential national deliberation. ... (Interruptions) It is with a sense of regret though I must here appeal to every Member, who is in the well of the House and trying to dissuade a conversation on a national issue like nutrition, to take part in it. ... (Interruptions) I would also bring to the attention of the hon. Member that Anganwadi workers across the country did not operate in order to avoid the spread of COVID-19 and to protect women and children during the pandemic. ... (Interruptions) However, we ensured in collaboration with the State Governments that in 15 days, ration was to be approved additionally to the women and children. ... (Interruptions) It was delivered at their doorsteps. One must recognise that the Integrated Child Development Scheme and the POSHAN Abhiyan are two distinct schemes. The POSHAN Abhiyan, hon. Speaker, Sir, is directed towards creating a jan andolan with regard to nutrition. ... (Interruptions) I would, here, like to highlight to the hon. Member that under the POSHAN Abhiyan, 11.5 lakh smart phones have now been procured for Anganwadi workers across the country. The POSHAN Tracker is being

introduced by the Government of India. ... (*Interruptions*) This is a digital solution which tracks nine crore beneficiaries including 7.5 crore children. Our endeavour is to ensure that all health solutions are to be given to these children and women in this chain of Anganwadi services and system. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी जी।

... (व्यवधान)

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी: माननीय अध्यक्ष महोदय, कुपोषण से ग्रस्त लोगों का जीवन कितना दूभर हो जाता है, यह हम सभी जानते हैं।...(व्यवधान) आंगनवाड़ी वगैरह में जो पोषण अभियान चल रहा है, वह ओडिशा में बिल्कुल निरर्थक हो गया है।...(व्यवधान) हमने सीडीपीओ को बुलाकर कई आंगनवाड़ी केन्द्रों में टेस्ट करवाया है।...(व्यवधान)

सर, वहां पर बादाम के लड्डू 50 परसेंट तक कम हैं ।... (व्यवधान) सूजी के पैकेट कम हैं । वे ऐसी चीजें देते हैं, जिनमें न्यूट्रिशन बिल्कुल कम होता है । वहां पर पूरी तरह से एडल्टरेशन होता है । हमने सीडीपीओ के करप्शन को पकड़ा, उसके ऊपर एडीएम ने रिपोर्ट दी ।... (व्यवधान) उसमें 2,89,000 रुपये की सामग्री खरीदी गई थी और उसमें 1,60,000 रुपये का मिसएप्रोप्रिएशन हुआ था । एडीएम की रिपोर्ट आने के बाद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है ।... (व्यवधान) मैंने इस बारे में कई लेटर्स लिखे थे । मैंने चीफ सेक्रेटरी तक को लेटर लिखा, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई ।... (व्यवधान) हमने दो आंगनवाड़ी केन्द्रों पर सीडीपीओ को भेजकर इसकी जांच करवाई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ । वे 10-10 हजार रुपये लेकर अपॉइंटमेंट देते थे । सर, गरीब, पितृहीन बालिका को भी अपॉइंटमेंट नहीं दिया ।... (व्यवधान) इसलिए हमने विजिलेंस के द्वारा इनको पकड़वाया और अभी सुपरवाइजर को अरेस्ट किया गया है ।... (व्यवधान)

सर, ओडिशा में इस तरह से चलता है और वे संस्था जो इनको फूड मेटेरियल सप्लाई करती हैं, जो एडल्टरेशन करती है, उनको ओडिशा सरकार प्रमोट करती है।... (व्यवधान) सर, हम बहुत असहाय हो गए हैं। हमें इसके लिए सहायता चाहिए।... (व्यवधान) करप्ट एजेंसीज़ को बंद करना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनको जेल भेजना चाहिए। ये लोग सरकार की फूड स्कीम को बर्बाद कर देते हैं।... (व्यवधान)

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, the charges that are being pronounced by the hon. Member in this House are very grave in nature. ... (Interruptions) While it is the privilege of the hon. Member of Parliament that all Government schemes are implemented within protocols and limits of the law and also in the best of spirits, ... (Interruptions) What the hon. Member espouses about the state of affairs in his home State is a cause of great concern for me as a Minister. The hon. Member of Parliament is aggrieved with the fact that adulteration was caught by him and the associated organisation within the State that he represents. (Interruptions) I will take the aggrievement of the hon. Member and convey it to the State Government because it is the State Government which is constitutionally and administratively responsible for the implementation of the project. ... (Interruptions) However, through you, I would appeal to every Member of Parliament that the Ministry of Women and Child Development, on the 13th of January, has issued a notification to every State Government how the ICDS and POSHAN systems need to be implemented, which includes checking of food in FSSAI and NABL accredited labs. It directs the State Governments to procure keeping in

mind GFR and CVC rules. ... (*Interruptions*) If any State Government is found in violation of the rules, appropriate action will be taken by the Ministry. ... (*Interruptions*)

KUMARI GODDETI MADHAVI: Sir, the Ministry has spent over Rs. 10,000 crore on POSHAN Tracker, which records real-time data on severe, acute malnourished children in each Anganwadi. ... (Interruptions) However, the nutrition data and its indicators are not available in public domain. What steps has the Ministry taken to make such data and indicators collected through the POSHAN Tracker available in public domain? ... (Interruptions) SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, the data that we deal with within the POSHAN Tracker, to maintain the privacy of women and children in our country, especially the minor children, whose data should not be publicly made available, is an issue which is close to my heart. ... (Interruptions) My pledge is to honour the privacy of women and children who are serviced by the Government of India in collaboration with State Governments across the Anganwadi systems in the country. ... (Interruptions) However, regrettably, Sir, I must here highlight to the hon. Member that the number that she prescribes for the formulation of the POSHAN Tracker is wrong. ... (Interruptions) I believe, this statement has been pronounced by certain organisations and vested interest parties with regard to the POSHAN Tracker, which seeks to bring about transparency. ... (Interruptions) My appeal, through you, to the hon. Member is this. ... (Interruptions) Every Member of Parliament should support the Government's endeavour to

bring about transparency and protect the privacy of our children and lactating and pregnant women. ... (*Interruptions*)

श्री मलूक नागर : महोदय, प्रश्न काल चल रहा है और अगर ये लोग यहां इतना हंगामा कर रहे हैं तो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। ... (व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि गरीब, पिछड़े, दिलत और अकलियतों में जो बहुत गरीब लोग हैं, उनके लिए सरकार क्या कोई ऐसा प्रॉविजन कर रही है जिससे जिला और तहसील स्तर पर ले जाकर, उन लोगों को जागरूक किया जा सके, जिससे एक्चुअल में इस स्कीम का फायदा जमीनी हकीकत के रूप में उन तक पहुंच सके? ... (व्यवधान) माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करें।... (व्यवधान)

श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी: महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, वह एक ओवरआर्चिंग प्रश्न है, मात्र मेरे मंत्रालय से सम्बन्धित नहीं है, लेकिन मैं, आपके माध्यम से, माननीय
सदस्य को बताना चाहती हूं कि आंगनवाड़ी सिस्टम में 'पोषण ट्रैकर' के माध्यम से पता चलता
है कि जो 9 करोड़ लाभार्थी बच्चे और महिलाएं हैं, वे गरीब परिवारों के हैं, सम्पन्न परिवारों के
नहीं हैं ।... (व्यवधान) इसलिए भारत सरकार गरीब परिवारों की हमारी बहनों का, गरीब
परिवारों के बच्चों का संरक्षण किस प्रकार से प्रदेश की सरकारों के साथ कर रही है, वह 'पोषण
ट्रैकर' के माध्यम से प्रतिबिम्बित होता है।... (व्यवधान) साथ ही, मैं यह भी कहना चाहती हूं
कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को हम उनकी प्रेग्नेंसी
के दौरान 5,000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में देते हैं।... (व्यवधान) इससे 2 करोड़ से
ज्यादा बहनों को 8,000 करोड़ रुपये तक का लाभ मात्र और मात्र एक स्कीम के अंतर्गत हुआ
है।... (व्यवधान) आंगनवाड़ी प्रांगणों में महिला और बाल विकास मंत्रालय का 20,000 करोड़
रुपये से ज्यादा का व्यय भारत सरकार की ओर से प्रदेश सरकारों के प्रति हुआ है, जो मात्र
और मात्र गरीब परिवारों की बहनों, बेटियों और बच्चों को समर्पित है।... (व्यवधान)

SHRI JAGDAMBIKA PAL: Sir, through you, I would like to ask a supplementary question to the hon. Minister. ... (Interruptions) The Minister may kindly brief the House because there are eight aspirational districts in U.P., and one of the ingredients that hinders a child's growth is malnutrition ... (Interruptions) Already, the Minister in her reply has stated 'The Government has not conducted any inquiry through the National Commission for Protection of Child Rights regarding deaths of children'. ... (Interruptions) So, what is their number in Siddharth Nagar, Balrampur and Shravasti? अगर ऐसा है तो इस सर्वे के बाद जो संख्या आई है, उसके लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? मैं यही जानना चाहता हूं। ... (व्यवधान)

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, as I stand today to answer, through you, the hon. Member's query, I am blocked by certain gentlemen who have placards in their hands. ... (Interruptions) If they truly believe in servicing the needs of poor women and children in our country, my request to them is to ensure that I speak for the women and children of this country and hear how dedicated the Members of Parliament would wish to discuss issues pertaining to them. ... (Interruptions) And, those gentlemen belong, especially, to a particular Party. One of their representatives in Karnataka, yesterday said and made remarks about women, which needs to be condemned by every public representative. ... (Interruptions) If you truly believe in the cause of women, first, stand here and denounce that Legislator who says that if you are raped as a woman in this country, you should enjoy it. ... (Interruptions) Those men, who stand in attendance

today, should go back to your political organisation, and first, bring to justice such a man. Then we will see who speaks for the women and children in this country. ... (*Interruptions*)

Insofar as Shri Jagdambika Pal's question about the aspirational districts is concerned, I must here highlight that Saksham Anganwadi was the special initiative of the Ministry of Women and Child Development. ... (Interruptions) We will look at bettering the infrastructure for the aspirational districts and the Anganwadi services within them. ... (Interruptions) This involves the districts that have just been enunciated by the hon. Member. ... (Interruptions)

श्रीमती नवनित रिव राणा: महोदय, मिहला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 13/01/2021 को जारी निर्देशों तथा दिनांक 28/06/2021 की गजट अनुसूची एवं दिनांक 29/06/2021 के कार्यालय ज्ञापन में भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार पूरक पोषण आहार के रूप में, तकनीकों एवं पोषण मानकों के अनुसार लाभार्थियों को भोजन उपलब्ध कराना है।... (व्यवधान)

उनको कच्चा राशन उपलब्ध कराने को स्पष्ट मना किया गया है, किंतु राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के विपरीत एक वर्ष से निरंतर कच्चा राशन दिया जा रहा है। ... (व्यवधान) वे भारत सरकार के उपयुक्त निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, फिर भी भारत सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया है तथा राज्य सरकार को बजट देना जारी रखा गया है। क्या राज्य सरकारों द्वारा भारत सरकार के निर्देशों का पालन न करने के उपरांत भी भारत सरकार ने बजट देना जारी रखा है? ... (व्यवधान) क्या भारत सरकार उन राज्य सरकारों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का विचार रखती है. जिनके द्वारा भारत

सरकार के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या कार्रवाई हुई है? ... (व्यवधान)

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी: सर, माननीय सदस्य ने 13 जनवरी के जिस नोटिस के संदर्भ में अपनी चिंता व्यक्त की है तो हमने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत सभी राज्य की सरकारों को आदेशित किया और पत्राचार के माध्यम से एक बार फिर उन्हें आगाह किया कि टेक होम राशन, रॉ राशन नहीं हो सकता।... (व्यवधान) टेक होम राशन का प्रोक्योरमेंट जीएफआर रूल्स और सीवीसी की गाइडलाइन्स के अंतर्गत ही संभव है। अगर कानून का उल्लंघन होगा तो राज्य की सरकार इस कानून के उल्लंघन में प्रोक्योरमेंट करेगी। ऐसी स्थिति में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उस पैसे की पूर्ति नहीं करेगा।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः प्रश्न संख्या 282, श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर।

(Q.282)

SHRI BELLANA CHANDRA SEKHAR: The Notaries Amendment Bill, 2021 proposes to digitise the whole notarisation process to prevent misconduct and safeguard the interests of the general public.(Interruptions) Is the Ministry also planning to provide any specific training or support to notaries for this proposed digitization of notarial work?(Interruptions)

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने नोटरी के प्रशिक्षण, शिविर और उसे डिजिटल करने के बारे में पूछा है। मैं इस संदर्भ में माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि नोटरी अधिनियम 1952, नोटरी के पैसे को नियंत्रित करता है।... (व्यवधान) नोटरी नियम 1956 में नोटरी के रूप में निहित प्रक्रियाओं, योग्यताओं, निहित नोटरियों के प्रैक्टिस संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने, उनका नवीनीकरण, नोटरी के कार्य, अनुशासनात्मक कार्रवाई, शुल्क अनुसूचियों से संबंधित मामलों का प्रावधान है।... (व्यवधान) जहां तक डिजिटल वाला मामला है, अभी इस पर विभाग विचार नहीं कर रहा है। जहां तक नोटरी के प्रशिक्षण का मामला है, ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं हो रहा है। इसमें ऑनलाइन विज्ञापन निकलता है।... (व्यवधान) उस राज्य में कितनी नोटेरियन की आवश्यकता है, उसका विज्ञापन निकलता है और लोग आवेदन करते हैं। इस आवेदन की कुछ प्रकियाएं हैं, कुछ मेरिट हैं, कुछ क्वलिफिकेशन है, फिर उसके बाद साक्षात्कार होते हैं और साक्षात्कार के आधार पर उनका चयन होता है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, एक मिनट । लोक सभा की किसी प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी घटना घटी तो इसकी जिम्मेदारी माननीय सदस्यों की होगी । मैं आपको आग्रह कर रहा हूं।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : वरिष्ठ माननीय सदस्य, कुर्सी पर हाथ लगाकर न बैठें।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : वरिष्ठ सदस्य, अगर लोक सभा की कोई भी प्रॉपर्टी डैमेज हुई तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। मैं आपको आग्रह करना चाहता हूं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको फिर आग्रह करना चाहता हूं कि लोक सभा की प्रॉपर्टी को डैमेज करने का प्रयास किया तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : केरल वाले सब लोग इस विषय को जानते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर।

... (<u>व्यवधान</u>)

SHRI BELLANA CHANDRA SEKHAR: In the Notaries (Amendment) Bill, the Government has limited the term of notaries to 15 years to allow younger eligible candidates to enter the field, but this will negatively affect the legal practitioners who practise notary as their sole profession. Is the Minister considering a proposal to make any exceptions in such cases? ... (Interruptions)

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल: माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक नोटरी का मामला है, वे युवा हों इसमें कोई एज फेक्टर नहीं है।... (व्यवधान) जिस राज्य में उनकी आवश्यकता के अनुसार नोट्रियों की रिक्तियां होती हैं।... (व्यवधान) ये नोटरीज़ दो प्रकार के होते हैं।... (व्यवधान) राज्य सरकार नोट्रियनों की नियुक्ति करती है और केन्द्र सरकार अपने कोटे से नोट्रियनों की नियुक्ति करती है।... (व्यवधान)

केन्द्र सरकार के विज्ञापन में लोग आवेदन करते हैं और इसमें सामान्य नियम यह है कि जो जनरल कैटिगरी के लोग होते हैं, उनकी प्रैक्टिस, उनकी अलग योग्यता है। ... (व्यवधान) इसमें आरक्षण नहीं है, क्योंकि यह नौकरी नहीं है। ... (व्यवधान) लेकिन अन्य कैटिगरीज़ में उसकी प्रैक्टिस के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है, जिस प्रकार बैकवर्ड क्लासेज़, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और दिव्यांगजनों के लिए है। ... (व्यवधान)

हमारा विभाग इस पर विचार कर रहा है। ... (व्यवधान) अभी तक सिस्टम यह है कि एक बार कोई नोट्रियन हो जाता है, तो पांच साल बाद उसे हम रिन्यू करते हैं, वह उसके लिए आवेदन करता है। ... (व्यवधान) इस प्रकार से पांच-पांच साल के उनको टेन्योर मिल जाते हैं। ... (व्यवधान) हम लोग विचार कर रहे हैं कि इसमें थोड़ा संशोधन किया जाए। ... (व्यवधान) इसको दो या तीन कार्यकाल तक सीमित करने पर विभाग विचार कर रहा है।

माननीय अध्यक्ष : श्री संजय काका पाटील – उपस्थित नहीं।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्वन नंबर – 283, डॉ. महेश शर्मा।

... (<u>व्यवधान</u>)

(Q.283)

डॉ. महेश शर्मा: माननीय अध्यक्ष जी, मैं भारत सरकार, माननीय प्रधान मंत्री जी और हमारे माननीय मंत्री जी को धन्यवाद और बधाई देता हूं कि स्वास्थ्य के विषय में जो कार्य पिछले 70 वर्षों में हुआ और जो इन पिछले 7 वर्षों में हुआ, वह गुणात्मक है। ... (व्यवधान) मैं चिकित्सा पेशे से जुड़ा रहा हूं। ... (व्यवधान) जहां 6 'एम्स' की हमारी संख्या थी, वहां अब वह संख्या 22 हो गई है। ... (व्यवधान) एमबीबीएस की सीटें जहां 51,000 थीं, वे अब 88,000 हुई हैं। ... (व्यवधान) एमबीबीएस की सीटें जहां 51,000 थीं, वे अब 88,000 हुई हैं। ... (व्यवधान) एमडी की सीटें जहां 31,000 थीं, वे अब 55,000 हुई हैं। ... (व्यवधान) इसमें 78 प्रतिशत का इज़ाफा हुआ है। ... (व्यवधान) 'आयुष्मान भारत योजना' से देश की 50 प्रतिशत आबादी को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा मिल रही है। ... (व्यवधान) नेशनल मेडिकल कमीशन के माध्यम से नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की प्रकिया शुरू हुई है। ... (व्यवधान) इन सबके साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बनाई है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस जरूरत को बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या इन कॉलेजों में फैकल्टी की कमी रहेगी? ... (व्यवधान) क्या फैकल्टी की कमी के लिए कोई व्यवस्था की गई है? ... (व्यवधान) मेरा दूसरा सवाल है कि मेरी कांस्टिट्युएंसी गौतम बुद्ध नगर, नोएडा है, जहां की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है, इस जनसंख्या को देखते हुए दिल्ली का 'एम्स' बहुत ज्यादा क्राउडिड हो चुका है। ... (व्यवधान) उस पर बोझ बहुत ज्यादा है। ... (व्यवधान) यहां पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ पेडिएट्रिक्स के एक भवन को एम्स की एक समिति ने देखा भी था। ... (व्यवधान) क्या गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में एक नए एम्स की स्थापना या पेडिएट्रिक्स इंस्टिट्यूट को शुरू करने की योजना है? ... (व्यवधान) कृपया माननीय मंत्री जी मुझे अवगत कराएं। ... (व्यवधान)

डॉ. भारती प्रवीण पवार: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने नई सीट्स के बारे में प्रश्न किया है। ... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी सरकार ने मेडिकल सुविधा को लेकर लगातार प्रयास किया है, चाहे वह एजुकेशन हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो। पीएमएसएसवाई के अंतर्गत 22 नए एम्स खुलवाने हों या अपग्रेडेशन ऑफ मेडिकल कालेजेज हो, जिससे कि ज्यादा स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त हो तथा नए मेडिकल कालेजेज बनें। कार्डियोलॉजी की डीएम सीट्स 464 हैं।... (व्यवधान) नेफ्रोलॉजी की 208 सीट्स, न्यूरोलॉजी की 340 सीट्स और एमडी आर्थोलॉजी की 396 सीट्स हैं। इन सीट्स में लगातार वृद्धि हुई है। यूजी सीट्स 62 परसेंट बढ़ी हैं। पीजी सीट्स 78 परसेंट बढ़ी हैं।... (व्यवधान)

महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने यूपी के बारे में सवाल उठाया है, मैं माननीय सदस्य को कहूंगी कि हमारी सरकार ने लगातार सभी राज्यों में अच्छा प्रयास किया है। आज यूपी में 27 नए मेडिकल कालेजेज खोले गए हैं और दो एम्स बन रहे हैं। जीएमसी अपग्रेडेशन में 11 कालेजेज भी समाविष्ट हैं।... (व्यवधान)

डॉ. महेश शर्मा: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने हमें जो विश्वास दिलाया है, उससे हमें पूरी तरह से लगता है कि सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। दिल्ली के एम्स पर स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा बोझ है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस प्रस्ताव पर विचार करें कि दिल्ली के पास नोएडा में एक नए एम्स की व्यवस्था करें और जो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट वहां बना हुआ है और एम्स की समिति उसे देख चुकी है, इस विषय में त्वरित कार्रवाई की जाए।... (व्यवधान)

डॉ. भारती प्रवीण पवार : अध्यक्ष जी, पीजी सीट्स या नए एम्स की सुविधा बढ़ाने की बात है, हमारी तरफ से इस दिशा में अवश्य प्रयास किया जाएगा ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः प्रश्न संख्या 284, श्री गोपाल जी ठाकुर ।

(Q. 284)

श्री गोपाल जी ठाकुर : अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र में उद्योगों का सर्वथा अभाव है, जिसके कारण यहां के लाखों लोग हर वर्ष रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों और महानगरों में पलायन करते हैं।... (व्यवधान) उत्तर बिहार का प्रमुख शहर दरभंगा, जहां हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने एम्स, एयरपोर्ट, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, आईटी पार्क, दोहरीकरण, विद्युतीकरण करने का काम किया है, वहीं हमारी सरकार औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने हेतु रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों में प्लास्टिक पार्क स्थापित कर रही है, लेकिन बिहार में एक भी प्लास्टिक पार्क नहीं है।... (व्यवधान)

महोदय, मैं आपके माध्यम से रसायन एवं उर्वरक मंत्री जी से मांग करता हूं कि दरभंगा संसदीय क्षेत्र में प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाए, ताकि इस पिछड़े क्षेत्र में औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके और हजारों लोगों को रोजगार मिल सके।... (व्यवधान) श्री भगवंत खुबा : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 10 प्लास्टिक पार्क्स के लिए भारत सरकार ने मंजूरी दी है, जिसमें से आठ पार्कों का काम शुरू हो चुका है और दो पार्कों को हमने इनप्रिंसिपल अप्रूवल दिया है।... (व्यवधान) प्लास्टिक पार्क के माध्यम से ईको सिस्टम डेवलप करके स्टेट ऑफ दि आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम कॉमन फैसीलिटीज कलस्टर डेवलपमेंट द्वारा भारत सरकार करती है।... (व्यवधान) इससे यह लाभ होता है कि वहां निवेश आता है, उत्पादन बढ़ता है, निर्यात को बढ़ावा मिलता है और रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। भारत सरकार राज्य सरकारों को प्लास्टिक पार्कों की स्थापना के लिए स्पेशल परपज़ व्हीकल के माध्यम से 50 प्रतिशत का अनुदान देती है ताकि उसकी मैक्सिमम सीलिंग 40 करोड़ हो सके। तमिलनाडू, मध्य प्रदेश, ओडिशा, असम, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ में आलरेडी काम शुरू है। बिहार से अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। अभी तक दस प्लास्टिक पार्कों के निर्माण का कार्य हमने शुरू किया है। ... (व्यवधान)

श्री गोपाल जी ठाकुर: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बिहार में प्लास्टिक पार्क का निर्माण हो, इसके लिए केन्द्र सरकार क्या सोच रही है? ... (व्यवधान)

श्री भगवंत खुबा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य की चिंता के संबंध में बताना चाहता हूं कि इस संबंध में अभी तक वहां की सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं आया है और हमारा प्रपोजल ... (व्यवधान) चालू है। हम इस पर निर्माण कार्य करने के बाद ही आगे सोच सकते हैं। धन्यवाद । ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपनी-अपनी सीट्स पर जाकर विराजें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्रश्न-काल एक महत्वपूर्ण समय होता है और इस समय आप प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन आप एक नई परम्परा डाल रहे हैं। सदन में नारेबाजी करना और तिख्तयां लहराना उचित नहीं है।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, यह सदन की गरिमा के अनुकूल भी नहीं है। आपको देश की जनता ने उनके सवालों को उठाने के लिए सदन में चुनकर भेजा है।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मेरा आपसे आग्रह है कि आप कृपया अपनी-अपनी सीट्स पर विराजें, ताकि प्रश्न-काल ठीक से चल सके । क्या आप सदन की कार्यवाही नहीं चलाना चाहते हैं? क्या आप प्रश्न-काल नहीं चलाना चाहते हैं? क्या आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं? क्या आप महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवाल नहीं उठाना चाहते हैं।

... (व्यवधान)

*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS (Starred Question Nos. 285 to 300 Unstarred Question Nos. 3221 to 3450) (Page Nos.36 to 744)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

11.32 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

^{*} Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

... (<u>व्यवधान</u>)

14.00 hrs

The Lok Sabha reassembled at Fourteen of the Clock

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

14.0½ hrs

At this stage Sushri Mahua Moitra, Shri Kodikunnil Suresh, Dr. T. Sumathy
(A) Thamizhachi Thangapandian, Dr. S.T. Hasan and some other hon.

Members came and stood on the floor near the Table.

... (व्यवधान)

14.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर 2, श्री सर्बानन्द सोनोवाल – उपस्थित नहीं। आइटम नंबर 2 ए, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

... (<u>व्यवधान</u>)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, श्री श्रीपाद येसो नाईक की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हुं:-

(1) (एक) दीनदयाल पत्तन न्यास, गांधीधाम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दीनदयाल पत्तन न्यास, गांधीधाम के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (तीन) दीनदयाल पत्तन न्यास, गांधीधाम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।
- (चार) दीनदयाल पत्तन न्यास, गांधीधाम के वर्ष 2020-2021 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5698/17/21]

- (2) (एक) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, नवी मुंबई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, नवी मुंबई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5699/17/21]

(3) (एक) श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (तीन) श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।
- (चार) श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के लेखा-परीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5700/17/21]

- (4) (एक) विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम् के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम् के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5701/17/21]

(5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 5702/17/21]

- (ख) (एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 5703/17/21]

- (ग) (एक) तेबमा शिपयार्ड लिमिटेड, कांचीपुरम के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) तेबमा शिपयार्ड लिमिटेड, कांचीपुरम के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 5704/17/21]

(घ) (एक) कामराज पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कामराज पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 5705/17/21]

- (6) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) सा.का.नि.189(अ) जो 15 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (लाइसेंसिंग ऑफ स्टीवडोरिंग एण्ड शोर हैंडलिंग) विनियम, 2021 का अनुमोदन किया गया है।
 - (दो) सा.का.नि.591(अ) जो 27 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कोचीन पत्तन न्यास (लाइसेंसिंग ऑफ जेटीज, पीयर्स एण्ड स्लिपवेज) विनियम,2021 का अनुमोदन किया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 5706/17/21]

(7) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अंतर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (सामुद्रिक श्रम) संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 28 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 441(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5707/17/21]

- (9) (एक) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5708/17/21]

... (व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, मैं 15वें वित्त आयोग द्वारा 9 नवंबर, 2020 को राष्ट्रपति को सौंपी गई अपनी अंतिम रिपोर्ट में आपदा संबंधी अनुदानों से संबंधित सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई के संबंध में व्याख्यात्मक इापन (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 5709/17/21]

... (<u>व्यवधान</u>)

* Report for the year 2021-26 (Volumes I to IV) - XV finance Commission was laid alongwith Explanatory Memorandum on 1.2.2021.

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

- (1) (एक) जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वर्ष 1998-1999 से 2019-2020 तक के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
 - (दो) जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वर्ष 1998-1999 से 2019-2020 तक के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5710/17/21]

- (3) (एक) राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वर्ष 1998-1999 से 2019-2020 तक के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
 - (दो) राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वर्ष 1998-1999 से 2019-2020 तक के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5711/17/21]

... (<u>व्यवधान</u>)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY
AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, I rise to lay on the Table:-

- (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Council of World Affairs, New Delhi, for the year 2020-2021.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Council of World Affairs, New Delhi, for the year 2020-2021, togetherwith Audit Report thereon.
 - (iii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Council of World Affairs, New Delhi, for the year 2020-2021.

[Placed in Library, See No. LT 5712/17/21]

(i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions)
 of the Research and Information System for Developing
 Countries, New Delhi, for the year 2020-2021, alongwith
 Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Research and Information System for Developing Countries, New Delhi, for the year 2020-2021.

[Placed in Library, See No. LT 5713/17/21]

... (Interruptions)

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (एडवोकेट अजय भट्ट): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

- (1) (एक) रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5714/17/21]

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (क) (एक) हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 5715/17/21]

- (ख) (एक) बीईएमएल लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) बीईएमएल लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 5716/17/21]

(ग) (एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 5717/17/21]

- (घ) (एक) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 5718/17/21]

- (ड़) (एक) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 5719/17/21]

[Placed in Library, See No. LT 5720/17/21]

(4) छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 66 की उपधारा (2) के अंतर्गत छावनी भूमि प्रशासन नियम, 2021 जो दिनांक 2 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.नि.आ. 24(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अंतर्गत नौसेना अवकाश विनियमन, 2019 जो दिनांक 14 दिसम्बर, 2019 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. का.नि.आ. 105(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5721/17/21]

... (व्यवधान)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

- (1) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5722/17/21]

- (3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, नवी मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, नवी मुम्बई का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 5723/17/21]

- (4) (एक) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकैमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलोजी, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकैमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलोजी, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5724/17/21]

- (5) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फॉरमुलेशन टेक्नोलोजी, गुड़गांव के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फॉरमुलेशन टेक्नोलोजी, गुड़गांव के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5725/17/21]

... (<u>व्यवधान</u>)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (DR. R.K. RANJAN SINGH): Sir, I rise to lay on the Table:-

- A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the NalandaUniversity, Nalanda, for the year 2019-2020.
- A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Nalanda University, Nalanda, for the year 2019-2020, together with Audit Report thereon.
- A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Nalanda University, Nalanda, for the year 2019-2020.

[Placed in Library, See No. LT 5726/17/21]
... (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY
WELFARE (DR. BHARATI PRAVIN PAWAR): Sir, I rise to lay on the
Table:-

 A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre (Utkal University), Bhubaneswar, for the year 2020-2021, along with Audited Accounts.

 A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre (Utkal University), Bhubaneswar, for the year 2020-

2021.

[Placed in Library, See No. LT 5727/17/21]

... (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AYUSH (DR. (PROF.) MAHENDRA MUNJAPARA): Sir, I rise to lay on the Table a copy of the Drugs (4th Amendment) Rules, 2021 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.716(E) in Gazette of India dated 4th October, 2021 under Section 38 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940.

[Placed in Library, See No. LT 5728/17/21]

... (Interruptions)

14.02 hrs

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE 64th to 73rd Reports

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): Sir, I beg to present the Sixty-fourth to Seventy-third Reports (Original/Action Taken) (Hindi and English versions) of the Committee on Papers Laid on the Table (2021-2022).

... (Interruptions)

14.03 hrs

STANDING COMMITTEE ON DEFENCE Action Taken Statements

KUNWAR DANISH ALI (AMROHA): Sir, I rise to lay the Final Action Taken Statements (Hindi and English versions) of the Government on the Recommendations contained in Chapter I and V of the following Reports of the Committee:-

- Twelfth Report of the Standing Committee on Defence (Sixteenth Lok Sabha) on Action taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Fourth Report of the Committee (Sixteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2014-15) of the Ministry of Defence on Navy and Air Force (Demand Nos. 23 & 24)'.
- 2. Thirty-seventh Report of the Standing Committee on Defence (Sixteenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/ Recommendations contained in the Twenty- eighth Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'General Defence Budget, Border Roads Organisation, Indian Coast Guard, Military Engineer Services, Canteen Stores Department, Directorate General Defence Estates, Defence Public Sector Undertakings, Welfare of Ex-Servicemen, Defence

Pensions, Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (Demand Nos. 19 & 22)'.

- 3. Forty-fifth Report of the Standing Committee on Defence (Sixteenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Thirty-third Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Resettlement of Ex- Servicemen'.
- 4. Forty-sixth Report of the Standing Committee on Defence (Sixteenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Fortieth Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2018-19 on General Defence Budget, Border Roads Organisation, Indian Coast Guard, Military Engineer Services, Directorate General Defence Estates, Defence Public Sector Undertakings, Welfare of Ex-Servicemen, Defence Pensions, Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (Demand Nos. 19 and 22)'.
- Forty-seventh Report of the Standing Committee on Defence (Sixteenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/ Recommendations contained in the Forty-first Report (Sixteenth Lok

Sabha) on 'Demands for Grants 2018-19 of the Ministry of Defence on Army, Navy and Air Force (Demand No. 20)'.

- 6. Forty-eighth Report of the Standing Committee on Defence (Sixteenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/ Recommendations contained in the Forty- second Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2018-19 on Capital Outlay on Defence Services, Procurement Policy and Defence Planning (Demand No. 21)'.
- 7. Forty-ninth Report of the Standing Committee on Defence (Sixteenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Forty-third Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants for 2018- 19 of the Ministry of Defence pertaining to Revenue Budget of Ordnance Factories, Defence Research and Development Organisation, Directorate General Of Quality Assurance And National Cadet Corps (Demand No. 20)'.

... (Interruptions)

14.04 hrs

STANDING COMMITTEE ON COAL, MINES AND STEEL 27th Report

SHRI S. MUNISWAMY (KOLAR): Sir, I rise to present the Twenty-seventh Report of the Committee (2021-2022) (Hindi and English versions) on Action Taken by the Government on the Observations / Recommendations contained in their Twenty-first Report (Seventeenth Lok Sabha) on "Safety Management and Practices in Steel PSUs" relating to the Ministry of Steel.

14.05 hrs

STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT 27th to 29th Reports

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): सभापति महोदय, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं:-

- (1) जनजातीय कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में समिति के 19वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 27वां प्रतिवेदन ।
- (2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में समिति के 20वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 28वां प्रतिवेदन।
- (3) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ((दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग)) की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में समिति के 21वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 29वां प्रतिवेदन।

... (<u>व्यवधान</u>)

14.06 hrs

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE 301st to 303rd Reports

श्री सुनील कुमार पिन्टू (सीतामढ़ी): सभापित महोदय, मैं परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

- (1) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में सिमिति के 287वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 301वां प्रतिवेदन।
- (2) नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में समिति के 291वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 302वां प्रतिवेदन ।
- (3) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में समिति के 290वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 303वां प्रतिवेदन।

... (व्यवधान)

17.12.2021 767

14.07 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE Contd.

माननीय सभापति: आइटम नंबर 2 – श्री अर्जुन राम मेघवाल। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति जी, श्री सर्वानन्द सोनोवाल जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हुं:-

- भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग, (1) (एक) गाजियाबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग, (दो) गाजियाबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण (2) दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5697/17/21]

... (व्यवधान)

14.08 hrs

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

27th Report

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY

AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE

(SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, on behalf of Shri Prahlad Joshi, I

beg to present the Twenty-seventh Report of the Business Advisory

Committee.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 16. श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी।

आइटम नंबर 17 – श्री मनसुख मांडविया।

14.08½ hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i)(a) Status of implementation of recommendations contained in the 314th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Human Resource Development on Demands for Grants 2020 -2021 (Demand No. 100) pertaining to the Ministry of Women and Child Development.*

AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, on behalf of Shrimati Smriti Zubin Irani, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of recommendations contained in the 314th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Human Resource Development on Demands for Grants 2020 - 2021 (Demand No. 100) pertaining to the Ministry of Women and Child Development

-

^{*} Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 5692/17/21.

(b) Status of implementation of recommendations contained in the 326th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on Demands for Grants 2021-2022 pertaining to the Ministry of Women and Child Development.*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, on behalf of Shrimati Smriti Zubin Irani, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of recommendations contained in the 326th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on Demands for Grants 2021-2022 pertaining to the Ministry of Women and Child Development.

^{*} Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 5693/17/21.

14.09hrs

(ii)(a) Status of implementation of the observations/ recommendations contained in the 118th and 125th Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare on Demands for Grants 2020-2021 (Demand No. 42) pertaining to the Department of Health and Family Welfare, Ministry of Health and Family Welfare.*

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE AND MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS(SHRI MANSUKH MANDAVIYA):

Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the observations/ recommendations contained in the 118th and 125th Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare on Demands for Grants 2020-2021 (Demand No. 42) pertaining to the Department of Health and Family Welfare, Ministry of Health and Family Welfare.

_

^{*} Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 5694/17/21.

(b) Status of implementation of the observations/ recommendations contained in the 119th and 124th Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare on Demands for Grants 2020-2021 (Demand No. 43) pertaining to the Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare.*

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE AND MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH MANDAVIYA):

Sir, I beg to lay a statement regarding the the status of implementation of the observations/ recommendations contained in the 119th and 124th Reports of the 16 Department-related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare on Demands for Grants 2020-2021 (Demand No. 43) pertaining to the Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare.

14.09½ hrs

(iii) status of implementation of the recommendations contained in the 283rd Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants 2020-21 pertaining to the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. *

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, on behalf of Shrimati Yesso Naik, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 283rd Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants 2020-21 pertaining to the Ministry of Ports, Shipping and Waterway.

 $^{^{\}ast}$ Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 5695/17/21.

14.093/4 hrs

(iv)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 1st Report of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development on Demands for Grants 2019-2020 pertaining to the Ministry of Labour and Employment.*

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली): सभापित महोदय, मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं:-

श्रम और रोज़गार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2019-2020 के बारे में श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 5th Report of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development on Demands for Grants 2020-2021 pertaining to the Ministry of Labour and Employment.*

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली): सभापित महोदय, मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं:-

श्रम और रोज़गार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2020-2021 के बारे में श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के 5वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

^{*} Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT5696 /17/21.

(c) Status of implementation of the recommendations contained in the 17th Report of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development on Demands for Grants 2021-2022 pertaining to the Ministry of Labour and Employment.*

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली): सभापित महोदय, मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं:-

श्रम और रोज़गार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2021-2022 के बारे में श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

... (व्यवधान)

^{*} Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 5696 /17/21.

14.10 hrs

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY
AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE
(SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Chairman Sir, with your
permission, I rise to announce that the Government Business for the
remaining part of the 7th Session of Lok Sabha may consist of:

- 1. Consideration of any items of the Government Business carried over from today's order paper:- [It contains:- (i) Further discussion and Voting on Second Batch of Supplementary Demands for the year 2021-22 and Introduction, consideration and passing of the Appropriation (No. 5) Bill 2021, (ii) Consideration and agreeing to the amendments made by Rajya Sabha to the Surrogacy (Regulation) Bill, 2020, as passed by Lok Sabha.]
- Consideration of passing of the following Bills:-
 - (i) The National Anti-Doping Bill, 2021.
 - (ii) The Wild Life Protection (Amendment) Bill, 2021.
 - (iii) The Chartered Accountants, the Cost and Works Accountants and Company Secretaries (Amendment) Bill, 2021.
- Consideration and passing of the Mediation Bill, 2021, after it is passed by Rajya Sabha.
- Consideration and passing of the following Bills after their introduction.

(i) The Prohibition of Child Marriage (Amendment) Bill, 2021.

(ii) The Election Laws (Amendment) Bill, 2021.

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, आईटम नंबर – 21, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर यदि सभा की सहमति हो तो इसको अगले सप्ताह ले लिया जाए?

... (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : जी हाँ ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : ठीक है।

आईटम नंबर 22 – श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी।

... (<u>व्यवधान</u>)

17.12.2021 778

14.12 hrs

GOVERNMENT BILLS - Introduced

(i) NATIONAL ANTI-DOPING BILL, 2021

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING AND

MINISTER OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SHRI ANURAG SINGH

THAKUR): Hon. Chairman Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill to

provide for the constitution of National Anti-Doping Agency for regulating

anti-doping activities in sports and to give effect to the United Nations

Educational, Scientific and Cultural Organisation International Convention

against doping in sports, and compliance of such other obligations and

commitments thereunder and for matters connected therewith or incidental

thereto. ... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Sougata Ray ji.

...(Interruptions)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खेलो में डोपिंग-रोधी गतिविधियों के विनियमन के लिए राष्ट्रीय डोपिंग-

रोधी अभिकरण के गठन और खेलों में डोपिंग के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक,

वैज्ञानिक और सांस्कृति संगठन अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय को मूर्त रूप देने तथा

इसके तहत ऐसी अन्य बाध्यताओं और प्रतिबद्धताओं के अनुपालन एवं उससे

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2, dated 17.12.2021

संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब आप विधेयक को पुर:स्थापित कीजिए।

SHRI ANURAG SINGH THAKUR: Sir, I introduce the Bill.

14.13 hrs

(ii) WILD LIFE (PROTECTION) AMENDMENT BILL, 2021*

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: Sougata Ray ji.

Dr. Shashi Tharoor – Not present.

... (Interruptions)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमित प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब आप विधेयक को पुर:स्थापित कीजिए।

श्री भूपेन्द्र यादव : महोदय, में विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2, dated 17.12.2021

14.14hrs

(iii) CHARTERED ACCOUNTANTS, THE COST AND WORKS
ACCOUNTANTS AND THE COMPANY SECRETARIES (AMENDMENT)
BILL, 2021*

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill further to amend the Chartered Accountants Act, 1949, the Cost and Works Accountants Act, 1959 and the Company Secretaries Act, 1980.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 और कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमित प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब आप विधेयक को पुर:स्थापित कीजिए।
SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I introduce the Bill.

-

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2, dated 17.12.2021

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आइटम नंबर 26, 27 और 28 से पहले जो आइटम नंबर 29 है, जो सरोगेसी रेगुलेशन बिल लगा हुआ है, आइटम नंबर 29 को पहले चर्चा के लिए ले लिया जाए ।... (व्यवधान)

माननीय सभापति: सभा की सहमति हो तो आइटम नंबर 29 को पहले ले लिया जाए?

... (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: जी हाँ... (व्यवधान)

14.15 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाते हैं। माननीय सदस्य अपना विषय सभा पटल पर रख सकते हैं।

... (व्यवधान)

(i) Regarding opening of three CGHS dispensaries in Gorakhpur, Uttar Pradesh

श्री रिव किशन (गोरखपुर): मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ जो पूर्वांचल का सबसे बड़ा महानगर है और वहाँ केंद्र सरकार के अनेक कार्यालय स्थित हैं । इसके साथ ही बहुत बड़ी संख्या में वहाँ केंद्र सरकार के पेंशनभोगी कर्मचारी भी निवास करते हैं लेकिन केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) का एक भी डिस्पेंसरी गोरखपुर में मौजूद नहीं है जिससे वहाँ सेवारत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशन भोगी कर्मचारियों को अनेक कितनाइयों का सामना करना पड़ता है । अतः मैं सरकार से माँग करता हूँ कि गोरखपुर में तीन स्थानों पर CGHS डिस्पेंसरी की अविलंब स्थापना की जाए ताकि वहाँ कार्यरत और निवास करने वाली पेंशनभोगी कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके । आपका एक बार पुनः हृदय से आभार ।

-

^{*} Treated as laid on the Table.

(ii) Need to connect Ratlam to Jhabua and Alirajpur district Headquarters with four-lane

इंजीनियर गुमान सिंह दामोर (रतलाम): उपरोक्त विषयांतर्गत रतलाम नगर के निकट 8 लेन एक्सप्रेस वे निकल रहा है। इस एक्सप्रेस वे एवं रतलाम नगर के बीच ग्राम बिबड़ोद में लॉजिस्टिक हब निर्माण के लिए लगभग 1000 एकड़ जमीन आरिक्षत कर ली गई है, तथा आपके रतलाम जिले में 8 लेन एक्सप्रेस वे के निरीक्षण दिनांक 16.9.2021 को आगमन के समय वस्तुस्थित से अवगत करा दिया गया था। 8 लेन एक्सप्रेस वे को रतलाम से झाबुआ तथा आलीराजपुर जिला मुख्यालय को फोरलेन से जोड़ा है, क्योंकि रतलाम एक बड़ा व्यापारिक केन्द्र है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होने के कारणयहाँ उपचार हेतु आना-जाना पड़ता है।रतलाम से झाबुआ तथा आलीराजपुर रोड़ पर ट्राफिक भी अधिक है।

अतः अनुरोध है कि रतलाम से झाबुआ एवं आलीराजपुर जिला मुख्यालय को फोरलेन से जोड़ने हेतु आवश्यक निर्देश देने की कृपा करें।

(iii) Need to develop Panchkula, Haryana as a tourist place

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला): मैं आदरणीय पर्यटन मंत्री जी का ध्यान अपने लोकसभा क्षेत्र अंबाला के अंतर्गत पड़ने वाले पंचकूला जिला के विकसित हो रहे पर्यटन स्थल मोरनी हिल्स व टिक्कर ताल की ओर दिलाना चाहता हू, जो हजारों सालों से प्राचीन धरोहर के रूप में जाना जाता है। प्राचीन इतिहास के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र के कालका, पिंजौर, रायतन, मोरनी हिल्स व टिक्कर ताल में पांडवों ने भी अपने वनवास का 1 वर्ष यहां बिताया था। अब हिरयाणा सरकार ने इस क्षेत्र में मोरनी हिल्स के तालों में पैराग्लाइडिंग, मोटर वोटिंग जैसी गतिविधियां शुरू की है। जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में पर्यटकों का आवागमन बढ़ गया है। परंतु आज भी ऐसी बहुत सी सुविधाएं हैं जिनका अभाव इस स्थान पर दिखाई पड़ता है। आज यहां चार मार्गी सड़क बनाए जाने की जरूरत है, होटल इंडस्ट्री व शॉपिंग सेंटर विकसित किए जाने की जरूरत है।

मैं, सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह हरियाणा राज्य में पड़ने वाला एकमात्र पहाड़ी क्षेत्र है और जी.टी.रोड़ पर 400-500 किलोमीटर के दायरे में यह अकेला इडवेंचरस स्थल उभर रहा है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि यहां हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान कराकर इस क्षेत्र का विकास करें।

(iv) Regarding development of tourism in Nabadwip district, West Bengal

SHRI JAGANNATH SARKAR (RANAGHAT): Nabadwip is divine and one of the oldest and historical cities of Bengal and birth place of Sri Chaitanya Mahaprabhu. This city is going to be capital of sanatani Hindu religion devotees. World's largest Krishna Temple is being constructed by ISCKON at Mayapur. Throughout the year Sanatani devotees from different parts of the world visit this city. This city is now a global hub for Hindu Religious tourism. Religious tourism can be developed in the entire Nadia district centered on Nabadwip. Other cities of the district like Santipur for Adwaito path, Phulia for Krittiwas Ojha birth place and Jaban Haridas place, Shibniwas for Asia's second tallest lord Shiva Linga temple, kalyani for Sati Mata temple etc can also be included in this tourism circle. I made some suggestions for improving tourism and infrastructure in these cities as well as my district Nadia. My concern is development of tourism in my district. I urge the minister to ensure that State Government also chips in for the purpose.

(v) Regarding expeditious construction of Forbesganj Airstrip

श्री प्रदीप कुमार सिंह (अरिया): सन् 1962 में भारत-चीन युद्ध के पश्चात फारबिसगंज हवाई पट्टी का निर्माण किया गया था। वर्तमान में भारत-चीन के बीच शीत युद्ध जैसी स्तिथि उत्पन्न होने के कारण, सुरक्षात्मक दृष्टि से इस हवाई पट्टी को फिर से संचालित करने की अत्यंत आवश्यकता है, वर्तमान समय में यहां के लोगों को हवाई यात्रा करने के लिए करीब 200 किलोमीटर की यात्रा कर बागडोगरा या फिर दरभंगा जाना पड़ता है । इस हवाईपट्टी के शुरू हो जाने से फॉरबिसगंज से नेपाल की राजधानी काठमांडू, जनकपुर, पोखरा के अलावा पटना, दिल्ली, लखनऊ, रांची, भारत की सांस्कृतिक व धार्मिक नगरी वाराणसी एंव अन्य स्थानों पर जाना आसान हो जाएगा । अत: माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि वर्षों से लंबित इस हवाई पट्टी को रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण में जल्द से जल्द शुरू किया जाए ।

(vi) Regarding expeditious construction of Bihta International Airport

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): मेरे संसदीय क्षेत्र पाटलीपुत्र अंतर्गत पटना ज़िला के बिहटा में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा काफी दिन पूर्व दी गयी है। बिहार सरकार ने जमीन का अधिग्रहण कर एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया को दे दिया है। अधिगृहित जमीन का बाउंडरी भी हो चुका है। लेकिन अभी तक निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है।

केन्द्र सरकार से स्वीकृत बिहटा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास से एनएच 30 पटना बक्सर सड़क गुजर रही है। उस पथ पर बिहटा से दानापुर तक एलिवेटेड सड़क का निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिहटा- सरमेरा पथ जो 6 लेन पटना रिंग रोड का हिस्सा भी है, उसका निर्माण काफी तेजी से हो रहा है। बिहटा में IIIT, नाइलेट, ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, NIT, फुटवेयर डिजाइनिंग इंस्टिट्यूट, ड्राई पोर्ट एवं कई आद्योगिक पार्क सहित कई अन्य सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थान कार्यरत है या निर्माणाधीन है। राजधानी पटना का तेजी से विस्तार दानापुर से बिहटा एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में हो रहा है।

उसके अलावा एन एच 30 पटना बक्सर, बिहटा सरमेरा, रामनगर कन्हौली 6लेन सड़क, शेरपुर में प्रस्तावित गंगा नदी पर पुल के निर्माण से बिहटा एयरपोर्ट से आरा, बक्सर, सारण, सिवान, गोपालगंज, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, रोहतास, नालंदा सिहत अन्य जिलों को एयरपोर्ट की सरल, सुगम और तेज संपर्कता प्राप्त होगी।

बिहटा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का नामकरण महान किसान नेता और स्वतंत्रता सेनानी स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के नाम पर करने हेतु लोकसभा में मैंने मामला भी उठाया है। उपरोक्त वर्णित बातों से स्वतः स्पष्ट है कि एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण की सभी

बांछित अहर्ताएं बिहटा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पूरा कर रहा है, फिर भी निर्माण कार्य शुरू होने में बिलंब समझ से परे है।

अतः विनम्र अनुरोध है कि बिहटा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू करने हेतु द्रुत कार्रवाई की जाए ।

(vii) Regarding construction of National Highways in Kalahandi Parliamentary Constituency

श्री बसंत कुमार पंडा (कालाहाण्डी): मेरा लोकसभा क्षेत्र कालाहांडी है जिसमें दो ज़िले नुआपडा और कालाहांडी है और यें दोनों आकांक्षी ज़िले है । मेरा क्षेत्र छतीसगढ़ से लगा हुआ है और जहाँ से छतीसगढ़ के लिए ट्रक/बड़ी गाड़ियाँ बड़ी संख्या में गुजरती है । इसलिए निवेदन यह है कि एक नए राष्ट्रीय राजमार्ग की बहुत ज़रूरत है जो पटनागढ़, खपराखोल, हिरशंकर रोड (जिला बोलंगीर) से उद्यानबंध, तरबोड, नुआपडा व धरमबंधा (ओडिशा) होते हुए छुरा, गिरयाबंद, धमतरी (छत्तीसगढ़) तक जाता है । इसकी लम्बाई लगभग 200KM है । दूसरा निवेदन यह है कि जूनागढ़ (कालाहांडी) से देवभोग होते हुए रायपुर (छत्तीसगढ़) तक जाता है जिसकी लम्बाई लगभग 245KM है । छत्तीसगढ़ हमारा पड़ोसी राज्य होने के कारण बड़ी संख्या में लोगों का पारिवारिक सम्बन्ध के साथ-साथ व्यवसायिक, मार्केटिंग और चिकित्सा उपचार के लिए आवागमन होता रहता है। इन दोनो माँगों के पूरी होने पर क्षेत्र की जनता में ख़ुशी की लहर होगी।

अतः माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि उपरोक्त नए राष्ट्रीय राजमार्ग का अनुमोदन जल्द से जल्द किया जाए ।

(viii) Regarding relaxation in age-limit in UPSC examinations

श्री तीरथ सिंह रावत (गढ़वाल): मैं सरकार का ध्यान एक लोक महत्व के विषय पर लाना चाहता हूँ। विगत वर्षों में कोरोना महामारी के समय यूपीएससी की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों की पढ़ाई अत्यंत प्रभावित हुई है। लॉक डाउन के कारण अध्ययन सामग्री नहीं मिल पायी। रोजगार चले जाने के कारण वित्तीय स्थिति भी खराब रही। कई लोगों ने अपने परिजनों को भी खोया है जिसके कारण उनकी मानसिक स्थिति भावनात्मक रूप से प्रभावित रही है। कई विद्यार्थी परीक्षा के समय क्वारंटीन हो गए जिसके कारण परीक्षा नहीं दे पाये और कई फ्रंटलाइन वर्कर राहत कार्यों में लगे रहे जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि ऐसे परीक्षार्थियों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर आयु सीमा में 2 वर्ष की राहत देते हुए जो अपना अंतिम अवसर खो चुके हैं उनको परीक्षा में बैठने का एक मौका दिया जाए।

(ix) Regarding construction of Murakati Branch Canal in Jamshedpur Parliamentary Constituency

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): मैं सरकार का ध्यान एक अतिमहत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना के निर्माण कराने की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ । विदित है कि प्रधानमंत्री सिंचाई स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत मुराकाटी शाखा नहर के निर्माण हेतु परियोजना का छठा पुनरीक्षित प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक 447-56 दिनांक 06.09.2019 द्वारा FTPC के तहत प्रदान की गई थी, जिसकी राशि रू० 14949.744 करोड़ है । यह स्वीकृति जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार रांची के अनुशंसा के उपरान्त ही प्रदान की गई थी। जल संसाधन विभाग रांची के पत्रांक 1/PMC/कार्य-996/2017-46/2021, प्र0स्वी0, दिनांक 19.03.2021 द्वारा रू0 12849.46 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उसी क्रम में मुराकाटी शाखा नहर जो कि स्वर्णरेखा परियोजना का प्रमुख अवयव है, इसके निर्माण को राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। खरकई दांया मुख्य नहर के कि0मी0 29.83 से निःसृत मुराकाटी शाखा नहर का सिंचाई क्षमता 14,122 हेक्टेयर है। यह क्षेत्र मूल रूप से पोटका, मुसाबनी, घाटशिला एवं घुड़ाबान्दा प्रखण्ड के अन्तर्गत आता है। एक ओर उसी क्षेत्र के किसानों का 650 हेक्टेयर जमीन अधिगृहित कर गालुडीह दायां मुख्य नहर का निर्माण कर उड़ीसा को सिंचाई वर्ष 2012 से जलापूर्ति की जा रही है दूसरी ओर घाटशिला एवं पोटका विधानसभा क्षेत्र के किसानों को सिंचाई स्विधा से झारखण्ड सरकार वंचित कर रही है, जबकि गजिया स्थित खरकई बराज के शीर्ष संरचना का निर्माण कार्य वर्ष 2020 में सम्पन्न हो चुका है। मुराकाटी शाखा नहर का पूरा कमाण्ड क्षेत्र मेरे निर्वाचन क्षेत्र (जमशेदपुर) में स्थित है।

अतः मैं माननीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि मुराकाटी शाखा नहर जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत FTPC के अन्तर्गत एक मुख्य अंग है,

का निर्माण सुनिश्चित किया जाय, जिससे मेरे संसदीय जमशेदपुर के किसानों जो मुख्यतः आदिवासी एवं अनुसूचित जाति वर्ग के हैं को सिंचाई का लाभ मिल सके।

(x) Need to solve the water drainage and water-logging problem arising out of construction of a railway underpass in Banaskantha Parliamentary Constituency

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा जिले के अंतर्गत धानेरा तहसील, मोटा मेडा गाँव के पास LC 129 रेलवे फाटक पड़ता है जहाँ पर तीन वर्षों से रेलवे अंडरपास का कार्य चल रहा है। परन्तु उसमें से कुछ कार्यों को छोड़ दिया गया है। बारिश के मौसम में उस स्थान पर पानी और मिटटी का जमाव हो जाता है जिससे आवाजाही बिल्कुल बंद हो जाती है। मिटटी और पानी के जमाव के कारण पास के गाँव के 100 घरों का रास्ता बंद हो जाता है, एवं गाँव के लोगों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। निर्माण के कार्यों के कारण मिटटी जमा रहती है इसलिए बारिश आने के समय नाले बंद हो जाते हैं और सारा मार्ग बंद हो जाता है। इसलिए मेरा मंत्री जी से आग्रह है की उस स्थान पर नालों में से पानी की निकासी की व्यवस्था हो और बारिश में जल जमाव न होने पाए इसके लिए उस स्थान पर शेड का निर्माण किया जाये जिससे की रास्ते में अवरोध उत्पन्न न हो और गाँव के लोगों की आवाजाही स्गम बनी रहे।

(xi) Regarding sanctioning of Bilara Bar Railway line

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारे देश में रेलवे के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हुए है |

मैं सरकार का ध्यान वर्ष 1997 में तत्कालीन रेल मंत्री जी द्वारा जोधपुर जिले की महत्वपूर्ण बिलाड़ा से बर नई रेल लाइन की घोषणा की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि उक्त योजना का शिलान्यास किया जा चुका है, लेकिन कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हो सका। बिलाड़ा से बर की दूरी केवल 46 कि.मी. मात्र है, यदि इन दोनों को रेलवे लाइन से जोड़ दिया जाता है तो हजारों की संख्या में लोगों को रेल सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा व जोधपुर-जयपुर-दिल्ली की दूरी भी बहुत कम होगी तथा जोधपुर से अजमेर को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी। इस सम्बन्ध में पश्चिमी राजस्थान के एम्स-जोधपुर, उद्योग विभाग, आर्मी हैडक्वाटर, जय नारायण व्यास विश्व विद्यालय, आदि महत्वपूर्ण संस्थानों द्वारा भी इस प्रोजेक्ट की महत्वता व आवश्यकता के बारे में लिखित रूप से बताया है। यह लाइन सामरिक दृष्टि से भी विशेष महत्व रखती है। इस सम्बन्ध में रेल मंत्रालय द्वारा कई बार सर्वे भी कराया जा चुका है। रेलवे बोर्ड द्वारा इसे सहमति के साथ प्लानिंग कमीशन में भेज दिया गया था, लेकिन प्लानिंग कमिशन द्वारा इस योजना को "कॉमर्शियली नौट वाईबल" बताकर छोड़ दिया जाता है। लगातार किये गए सर्वे की रिपोर्ट का विवरण सदन के सामने रख रहा हूँ

Year of Survey	Cost of Project	Rate of Return
		(Percentage)
1983	10.75 +1.75	
1992	47.57	0
1995	54.22	-

2011	204.83	-10.95
2016	368.48	-26.93
2021	507.23	-9.94

अब इस क्षेत्र में काफी संख्या में में लाईम स्टोन, सीमेंट, हैण्डीक्राफ्ट आदि के उद्योग विकसित हो चुके है। इसी को ध्यान में रखते हुए विश्वस्तरीय राष्ट्रीय राजमार्ग भी इस क्षेत्र से होकर बनाया गया है। अतः मेरा माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन है कि इस आमजन हिताय और वर्षों से लम्बित बिलाड़ा-बर रेल लाइन की अतिशीघ्र स्वीकृत प्रदान करने की कृपा करें।

(xii) Regarding crop cutting Report system in Odisha

SHRI SURESH PUJARI (BARGARH): The method of crop cutting report system in Odisha is totally defective. The identification of location of different Panchayats is done by the State Government on the basis of satellite remote sensing system. This system is okay where there plain land. But in the western part of Odisha, particularly in my Parliamentary Constituency, the land is layer by layer for which this system does not do justice. Apart from that, sometimes it falls on a plot or location where there is Deep Bore Irrigation System as a result of which the crop loss assessed from the crop cutting report is not proper and incorrect Therefore, I request the Hon"ble Minister of Agriculture to call for a report from the State Govt of Odisha, examine it, and direct them to have a better correct assessment system.

(xiii) Regarding problems afflicting textile industry

SHRI S. JAGATHRAKSHAKAN (ARAKKONAM): The entire Textile Industry and Textile Workers in Tamil Nadu are facing innumerable difficulties due to excessive price rise of Yarn and Cotton in the last one Year i.e. from Rs. 212/- to Rs. 360/- in 40s Count and Rs. 350/- to Rs. 470/- in 60s Count Yarn. Moreover, the Cotton price has also risen from Rs. 108/- per kg to Rs. 190/- per kg. Keeping in view the fact that 55% of India's Handloom sector is located in Tamil Nadu, the following remedial measures are urgently needed on a war footing to save the Textile Industry, which is the Second Largest Employer in India:- Exemption from GST, low interest Loan for Apparel Industry, Distribution of Yarn by Cotton Corporation of India, More FDI in Textiles Industry, Ban on Cotton Export, Removal of Import duty for Cotton etc.

I urge the Union Government to take remedial steps at this hour of distress

(xiv) Regarding rail connectivity in Tenkasi Parliamentary Constituency

SHRI DHANUSH M. KUMAR (TENKASI): I kindly request the railway ministry to introduce a new overnight Tirunelveli - Erode Special Weekend Express train to connect the industrial cities of Coimbatore, Tiruppur and Erode via Ambasamudrum, Tenkasi, Rajapalayam, Madurai, Pollachi, Coimbatore and Tiruppur. Similarly, it is also requested to introduce new overnight Sengottai - Mysuru Special Weekend Express train via Tenkasi, Rajapalayam, Madurai, Hosur, and Bengaluru. This train service is the dire need for working people, traders, businessmen and Students of the Tenkasi Constituency. This train service will fulfil the demand to travel to the Industrial cities of Coimbatore. I earnestly request the Hon'ble Minister for Railways to consider the request of the people of Tenkasi in introducing these trains.

(xv) Regarding disbursement of loan to APSDC

SHRIMATI CHINTA ANURADHA (AMALAPURAM): The AP State Government formed APSDC with a view to permanently rid the state of widespread distress. Therefore, the state owned APSDC availed Debt in the financial year 2020-2021.

APSDC has prepared Loan structure plan and availed loan by introducing a new ARET TAX (Additional Retail Excise Tax) on liquor consumption in the State. This model is in tune with time the robust model that is followed by various organisations including the National Highways Authority of India (NHAI),Kerala Infra Investment Fund Board (KIIFB), Chhattisgarh Housing Board and Maharashtra State Road Development Corporation. AP Government has also ensured that all constitutional requirements in this regard are adhered to. However, the Ministry of Finance has taken a stand against the borrowing of APSDC. Out of ₹25,000 Crore debt sanction, ₹23,300 crore has been disbursed and SBI had to release the final disbursement of ₹1,800 Crore.

Thus, I would request the Minister of Finance to allow disbursement of Loan to APSDC.

(xvi) Regarding alleged irregularities in implementation of PMAY -G

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक): प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के लिए बनाई गई थी और जरुरतमंद परिवारों को इसका लाभ वर्ष 2011 में हुए सर्वे के आधार पर दिया गया। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री जी से जुड़ा है। इसमें किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। पहले Website पर लाभार्थियों के नाम दिखते थे उसे बंद कर दिया और कथित भष्ट्राचार शुरू हो गया, वर्तमान में इस सूची में अधिकतर उन लोगों के नाम हैं जिनके पास खुद के नाम मकान है, कारणवश जरुरतमंद लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है. अत: इस योजना का लाभ देते समय उसके पारिवारिक संपत्ति की जांच की जाए, नये सिरे से सर्वे कराकर वंचित परिवारों को इस योजना का लाभ देवा जाए इस कथित भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों पर उचित कार्यवाही की जाये साथ ही पहले की तरह Website पर लाभार्थियों का नाम दिखाए जाए।

(xvii) Regarding expeditious completion of bridge over Saryu Canal, in Shrawasti Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री रामिशरोमिण वर्मा (श्रावस्ती): मेरे संसदीय क्षेत्र जनपद श्रावस्ती (उत्तर प्रदेश) के तहसील सिरिसया के तहत राजगुरु जुड़पिनया गांव के पास निर्माणाधीन सरयू नहर पर पुल का निर्माण होना अति आवश्यक है। यह राजगुरु जुड़पिनया गांव का मुख्य संपर्क मार्ग है. इस रास्ते से लगभग न्याय पंचायत चैलाही, ग्राम पंचायत सोनबरसा पूरेदारी कटुकुईया बनकटवा खुर्द आदि तमाम गांव के लोग इस रास्ते से आते जाते हैं। ग्रामीणों का नहर के पार लगभग 5000 हेक्टेयर कृषि भूमि है। पूल न होने के कारण ग्रामीणों को कृषि कार्य के लिए नहर में कूदकर पार करना पड़ता है जिससे उनकी जान जाने का खतरा बना रहता है।

अतः सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती (उत्तर प्रदेश) के तहसील सिरसिया के तहत राजगुरु जुड़पनिया गांव के पास निर्माणाधीन सरयू नहर पर जनहित में पुल का निर्माण अति शीघ्र कराया जाए।

(xviii) Regarding restoration of Haz embarkation point at Kozhikode Airport

DR. M.P. ABDUSSAMAD SAMADANI (MALAPPURAM): I request the Government to urgently intervene and solve the difficulties faced by the passengers in the state due to the ongoing delay in resuming operation of the wide-body air craft and restoring the Haj embarkation point at Kozhikode Airport in Kerala. The situation has caused much hurdles for the expatriates and pilgrims. The report of the enquiry into aircraft accident due to which the operation was stopped has clearly stated that the accident was not related with the infrastructural matters of the airport. Majority of the pilgrim passengers were depending on the Kozhikode embarkation point. which was functioning well and had received nation-wide appreciation.

14.16 hrs

*SURROGACY (REGULATION) BILL, 2019 Amendments made by Rajya Sabha

माननीय सभापित : आइटम नंबर 29, माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि लोक सभा द्वारा यथा पारित सरोगेसी विधेयक, 2019 में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार किया जाए।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, कृपया अपनी सीट पर जाएं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य का निष्पादन लोक सभा में हो रहा है। आप सहयोग करें।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, कृपया आप सब अपने-अपने स्थान पर वापस जाएं।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि लोक सभा द्वारा यथा पारित सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार किया जाए।

... (<u>व्यवधान</u>)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. BHARATI PRAVIN PAWAR): Sir, on behalf of Shri Mansukh Mandavia, I beg to move:

^{*} The Bill was passed by Lok Sabha on the 5th August, 2019, and transmitted to Rajya Sabha for its concurrence. Rajya Sabha passed the Bill with amendments at its sitting held on the 8th December, 2021 and returned it to Lok Sabha on 14th December, 2021.

"That the following amendments made by Rajya Sabha in the Bill to constitute National Surrogacy Board, State Surrogacy Boards and appointment of appropriate authorities for regulation of the practice and process of surrogacy and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration:—

LONG TITLE

1. That at page 1, <u>for</u> the words "National Surrogacy Board, State Surrogacy Boards", the words "National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board, State Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Boards" be **substituted**.

ENACTING FORMULA

2. That at page 1, line 1 <u>for</u> the word "Seventieth" the word "Seventy-Second" be **substituted**.

CLAUSE 1

- That in the marginal heading, <u>for</u> the words "Short title, extent and commencement", the words "Short title and commencement" be <u>substituted</u>.
- 4. That at page 1, line 4, <u>for</u> the figure "2020" the figure "2021" be substituted.
- 5. That at page 1, line 5, be *deleted*.

17.12.2021

CLAUSE 2

6. That at page 2, line 3, <u>after</u> the word "expenses", the words "and such other prescribed expenses" be <u>inserted</u>.

- 7. That at page 2, <u>after</u> line 6, the following be <u>inserted</u>, namely:-
 - "(ca) 'Assisted Reproductive Technology Act' means the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021;"
- 8. That at page 2, line 7, *for* the words "National Surrogacy Board," the words "National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board" be *substituted*.
- 9. That at page 2, line 16, <u>after</u> the words "medical expenses", the words "and such other prescribed expenses" be **inserted**.
- 10. That at page 2, <u>for</u> lines 23 to 26, the following be <u>substituted</u>, namely:-
 - "(*j*) "embryologist" means a person who possesses any postgraduate medical qualification or doctoral degree in the field of embryology or clinical embryology from a recognised University with not less than two years of clinical experience;".
- 11. That at page 2, lines 38 and 39, be *deleted*.
- 12. That at page 2, line 41, <u>after</u> the words "compensation for", the words "medical expenses, health issues," be <u>inserted</u>.
- 13. That at page 2, line 42, <u>after</u> the words "surrogate mother", the words "and such other prescribed expenses incurred on such surrogate mother" be <u>inserted</u>.

14. That at page 2, <u>for</u> lines 43 and 44, the following be <u>substituted</u>, namely:-

- "(r) "intending couple" means a couple who have a medical indication necessitating gestational surrogacy and who intend to become parents through surrogacy;".
- 15. That at page 2, <u>after</u> line 44, the following be <u>inserted</u>, namely:-
 - "(*ra*) "intending woman" means an Indian woman who is a widow or divorcee between the age of 35 to 45 years and who intends to avail the surrogacy;".
- 16. That at page 2, lines 45 and 46, <u>for</u> the words "the National Surrogacy Board or a State Surrogacy Board", the words "the National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board or a State Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board" be **substituted**.
- 17. That at page 3, line 14, <u>for</u> the words "the State Surrogacy Board", the words "the State Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board" be **substituted**.
- 18. That at page 3, <u>for</u> lines 30 to 33, the following be <u>substituted</u>, namely:-
 - "(zf) "surrogate mother" means a woman who agrees to bear a child (who is genetically related to the intending couple or intending woman) through surrogacy from the implantation of embryo in her womb and fulfils the conditions as provided in subclause (b) of clause (iii) of section 4;".

19. That at page 3, after line 34, the following be inserted namely:-

"(2) Words and expressions used herein and not defined in this Act but defined in the Assisted Reproductive Technology Act shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.".

CLAUSE 4

- 20. That at page 4, <u>for</u> lines 43 and 44, the following be <u>substituted</u>, namely:-
 - "(a) when an intending couple has a medical indication necessitating gestational surrogacy:

Provided that a couple of Indian origin or an intending woman who intends to avail surrogacy, shall obtain a certificate of recommendation from the Board on an application made by the said persons in such form and manner as may be prescribed.

Explanation.—For the purposes of this sub-clause and item (*I*) of sub-clause (*a*) of clause (*iii*) the expression "gestational surrogacy" means a practice whereby a surrogate mother carries a child for the intending couple through implantation of embryo in her womb and the child is not genetically related to the surrogate mother;".

17.12.2021

21. That at page 5, <u>for</u> lines 12 and 13, the following be <u>substituted</u>, namely:-

- "(/) a certificate of a medical indication in favour of either or both members of the intending couple or intending woman necessitating gestational surrogacy from a District Medical Board;".
- 22. That at page 5, line 14 <u>for</u>, the word "sub-clause", the word "item" be *substituted*.
- 23. That at page 5, *for* line 23, the following be *substituted*, namely:-

"couple or the intending woman and the surrogate mother, which shall be the birth affidavit after the surrogate child is born; and".

- 24. That at page 5, line 24, <u>after</u> the words, "such amount", the words "and in such manner", be *inserted*.
- 25. That at page 5, line 25, <u>for</u> the words, "sixteen months", the words "thirty-six months", be **substituted**.
- 26. That at page 5, <u>for</u> lines 37 to 39, the following be <u>substituted</u>, namely:-
 - "(II) a willing woman shall act as a surrogate mother and be permitted to undergo surrogacy procedures as per the provisions of this Act:

Provided that the intending couple or the intending woman shall approach the appropriate authority with a willing woman who agrees to act as a surrogate mother;".

- 27. That at page 6, line 3, <u>for</u> the words, "the age of intending couple is between", the words "the intending couple are married and between the age of", be **substituted**.
- 28. That at page 6, lines 6 and 7 be **deleted**.

CLAUSE 5

29. That at page 6, lines 16 and 17, <u>after</u> the words, "intending couple", the words "or intending woman", be <u>inserted</u>.

CLAUSE 7

- 30. That at page 6, line 27, <u>after</u> the words, "intending couple", the words "or intending woman", be <u>inserted</u>.
- 31. That at page 6, lines 31 to 33 be *deleted*.

NEW CLAUSE 7A

- 32. That at page 6, <u>after</u> line 33, the following new clause, be <u>inserted</u>, namely:-
 - **"7A.** A child born out of surrogacy procedure, shall be Rights of deemed to be a biological child of the intending couple or surrogate intending woman and the said child shall be entitled to all child.

the rights and privileges available to a natural child under any law for time being in force.".

CLAUSE 8

33. That at page 6, line 34, <u>for</u> the words "implanted in the surrogate mother", the words "implanted in the uterus of the surrogate mother" be <u>substituted</u>.

CLAUSE 13

- 34. That at page 7, line 37, <u>after</u> the words, "surrogacy clinic", the words "or the intending couple or the intending woman", be <u>inserted</u>.
- That at page 7, line 39, <u>after</u> the words and figure, "under section 12", the words and figure "and communication relating to rejection of the certificates under section 4", be <u>inserted</u>.

NEW CLAUSES 13A AND 13B

36. That at page 7, <u>after</u> line 45 the following new clauses be <u>inserted</u> namely:–

"13A. There shall be established a Registry to be Establishme called the National Assisted Reproductive nt of National Technology and Surrogacy Registry for the purposes Assisted of registration of surrogacy clinics under this Act. Reproductive

Technology and Surrogacy Registry.

13B. The National Assisted Reproductive Application Technology and Surrogacy Registry referred to in of provisions section 13A and to be established under section 9 of of the Assisted Reproductive Technology Act shall be Reproductive the National Registry for the purposes of this Act and Technology the functions to be discharged by the said Registry Act with under the Assisted Reproductive Technology Act respect to shall, *mutatis mutandis*, apply.". National Registry.

CLAUSE 14

37. That at page 8, <u>for</u> lines 2 to 5, the following be <u>substituted</u>, namely:-

"NATIONAL ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGY AND SURROGACY BOARD AND STATE ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGY AND SURROGACY BOARDS

14. *(1)* The Central Government shall, by notification, Constituti constitute a Board to be known as the National Assisted on of Reproductive Technology and Surrogacy Board to National exercise the power and perform the functions conferred Assisted on the Board under this Act.".

ive
Technolo
gy and
Surrogacy
Board.

38. That at page 8, lines 22 and 23, the words, "or experts of stri-roga or prasuti-tantra", be *deleted*.

CLAUSE 15

39. That at page 8, lines 42 and 43, <u>for</u> the words, "one year", the words "three years", be <u>substituted</u>.

CLAUSE 22

40. That at page 10, line 27, <u>for</u> the words "State Surrogacy Boards", the words "State Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Boards" be *substituted*.

CLAUSE 23

- 41. That at page 10, <u>for</u> lines 29 to 31, the following be <u>substituted</u>, namely:–
 - "23. Each State and Union territory having Constitution Legislature shall constitute a Board to be known as of State the State Assisted Reproductive Technology and Assisted Surrogacy Board or the Union territory Assisted Reproductive Reproductive Technology and Surrogacy Board, as Technology the case may be, which shall discharge the following and functions, namely:-".

Board.

CLAUSE 24

42. That at page 11, lines 13 and 14, the words "or experts of stri-roga or prasuti-tantra", be *deleted*.

CLAUSE 25

43. That at page 11, line 29, <u>for</u> the words "one year", the words "three years" be <u>substituted</u>.

CLAUSE 32

- 44. That at page 13, *for* line 9, the following be *substituted*, namely:—

 "each of the Union territories for the purposes of this Act and
 - the Assisted Reproductive Technology Act.".
- 45. That at page 13, <u>for</u> line 12, the following be <u>substituted</u>, namely:—

 "the whole or any part of the State for the purposes of this Act and the Assisted Reproductive Technology Act.".
- 46. That at page 13, *after* line 15, the following be *inserted*, namely:–
 - "(i) an officer of or above the rank of the Joint Secretary of the Health and Family Welfare Department-Chairperson, *ex officio;*".
- 47. That at page 13, line 17 <u>for</u> the word "Chairperson" the words "Vice Chairperson, ex officio" be **substituted**.

CLAUSE 34

48. That at page 14, line 12, <u>after</u> the words "may be prescribed", the words "and submit the same to the National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board" be <u>inserted</u>.

CLAUSE 37

- 49. That at page 15, <u>for</u> the existing marginal heading, the words "Punishment for not following altruistic surrogacy." be <u>substituted</u>.
- 50. That at page 15, line 8, <u>after</u> the words "Any intending couple", the words "or intending woman" be <u>inserted</u>.
- 51. That at page 15, line 10, *for* the words "commercial surrogacy", the words "not following the altruistic surrogacy" be *substituted*.

CLAUSE 47

- 52. That at page 16, after line 33 the following be inserted, namely:-
 - "(a) the prescribed expenses under clauses (b), (f) and (q) of sub-section (1) of section 2;".
- 53. That at page 16, line 36 *for* the words, "the manner", the words "the period and manner", be *substituted*.
- 54. That at page 16, *after* line 37, the following be *inserted*, namely:–
 - "(ba) the form and manner of application for obtaining certificate of recommendation from the Board under proviso to sub-clause (a) of clause (ii) of section 4;".
- 55. That at page 16, line 39, <u>after</u> the word "company" the words "and the manner of such coverage" be <u>inserted</u>.
- 56. That at page 16, line 44, <u>for</u> the words "implanted in the surrogate mother", the words "implanted in the uterus of the surrogate mother" be *substituted*.

57. That at page 17, lines 17 and 18, <u>for</u> the words "the State and Union territory Boards", the words "the State Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board and Union territory Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board" be <u>substituted</u>."

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि सरोगेसी व्यवहार और प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड, राज्य सरोगेसी बोर्डों का गठन और समुचित प्राधिकारियों की नियुक्ति करने और उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का विनियमन करने के लिए विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए।

विधेयक का पूरा नाम

1. पृष्ठ 1 में, "राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड, राज्य सरोगेसी बोर्डी" शब्दों **के स्थान पर**, "राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड, राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्डी शब्द **रखें** ।

अधिनियमन सूत्र

2. पृष्ठ 1 पर पंक्ति 1 में, "सत्तरवें" शब्द **के स्थान पर**, "बहत्तरवें" शब्द **रखें** ।

खंड 1

- 3. पार्श्व शीर्ष में, "संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ" शब्दों **के स्थान पर**, "संक्षिप्त नाम और प्रारंभ" शब्द **रखें** ।
- 4. पृष्ठ 1 पर पंक्ति 4 में, "2020" अंकों **के स्थान पर**, "2021" अंक **रखें** ।
- 5. पृष्ठ 1 पर पंक्ति 5 का **लोप** करें ।

खंड 2

6. पृष्ठ २ पर पंक्ति ६ में, "व्ययों" शब्द **के स्थान पर**, "और ऐसे अन्य विहित व्ययों" शब्द रखें ।

- 7. पृष्ठ 2 पर पंक्ति 9 **के पश्चात् अंतःस्थापित** करें, अर्थात् :-
 - '(गक) "सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी अधिनियम" से सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 अभिप्रेत है ;'।
- 8. पृष्ठ २ पर पंक्ति १० में "राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड" शब्दों **के स्थान पर**, "राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड" शब्द **रखें** ।
- 9. पृष्ठ २ पर पंक्ति 16 में "व्ययों" शब्द **के स्थान पर**, "व्ययों और ऐसे अन्य विहित व्ययों" शब्द **रखें** ।
- 10. पृष्ठ 2 पर पंक्ति 25 से पंक्ति 28 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें, अर्थात् :--
 - '(ञ) "भ्रूण विज्ञानी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके पास भ्रूण विज्ञान के क्षेत्र में कोई स्नातकोत्तर चिकित्सीय अर्हता या डाक्टरी है या जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से नैदानिक भ्रूण विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री है और साथ ही कम से कम दो वर्ष का नैदानिक अनुभव है ;'।
- 11. पृष्ठ 3 पर पंक्ति 1 का **लोप** करें ।
- 12. पृष्ठ 3 पर पंक्ति 2 में, "जिसके द्वारा" शब्दों **के स्थान पर**, "जिसके द्वारा चिकित्सीय व्ययों, स्वास्थ्य संबंधी व्ययों" शब्द **रखें** ।
- 13. पृष्ठ 3 पर पंक्ति 5 में, "प्रतिकूल करने" शब्दों **के स्थान पर**, "प्रतिकूल करने और ऐसी सरोगेट माता पर होने वाले ऐसे अन्य विहित व्ययों" शब्द **रखें** ।
- 14. पृष्ठ 3 पर पंक्ति 7 से पंक्ति 9 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें, अर्थात् :-
 - '(द) "आशय रखने वाला दंपत्ति" से ऐसा दंपति अभिप्रेत है, जिसके पास गर्भकालीन सरोगेसी के लिए आवश्यक उपदर्शन है और जो सरोगेसी के माध्यम से माता-पिता बनने का आशय रखता है ;'।
- 15. पृष्ठ 3 पर पंक्ति 9 के पश्चात् अंतःस्थापित करें, अर्थात् :-
 - '(दक) "आशय रखने वाली महिला" से कोई ऐसी भारतीय महिला अभिप्रेत है, जो पैंतीस से पैंतालीस वर्ष की आयु के बीच विधवा हो गई है या जिसका विवाह विच्छेद हो गया है और जो सरोगेसी का उपयोग करने के लिए आशय रखती है :'।
- 16. पृष्ठ 3 पर पंक्ति 13 में, "राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड या किसी राज्य सरोगेसी बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, "राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड या राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड" शब्द रखें ।
- 17. पृष्ठ 3, पंक्ति 30 में, "राज्य सरोगेसी बोर्ड" शब्दों **के स्थान पर**, "राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौदोगिकी और सरोगेसी बोर्डा" शब्द **रखें** ।

18. पृष्ठ 4 पर पंक्ति 4 से पंक्ति 6 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें, अर्थात् :--

'(यछ) "सरोगेट माता" से कोई ऐसी महिला अभिप्रेत है, जो अपनी गर्भाशय में भ्रूण के गर्भरोपण से सरोगेसी के माध्यम से (जो आशय रखने वाला दंपित या आशय रखने वाली महिला संबंधी आनुवंशिक है) किसी बालक को जन्म देने के लिए सहमत है और जो धारा 4 के खंड (iii) के उपखंड (ख) में यथा उपबंधित शर्तों को पूरा करता है ;'।

पृष्ठ ४ पर पंक्ति ८ **के पश्वात्** निम्नलिखित **रखें**, अर्थात् :—

19.

"(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किंतु सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में क्रमशः उनके हैं ।"।

खंड ४

20. पृष्ठ 5 पर पंक्ति 23 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंतःस्थापित** करें, अर्थात् :--

"(क) जब आशय रखने वाला दंपति को एक चिकित्सा उपदर्शन होता है जिसमें गर्भकालीन सेरोगेसी की आवश्यकता होती है :

परंतु भारतीय मूल का ऐसा दंपित या आशय रखने वाली ऐसी महिला को, जो सरोगेसी का उपयोग करने के लिए आशय रखती है, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उक्त व्यक्तियों द्वारा दिए गए आवेदन पर बोर्ड से सिफारिश का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करना होगा।

स्पष्टीकरण--इस उपखंड और खंड (İİİ) के उपखंड (क) की मद (İ) के प्रयोजन के लिए, "गर्भकालीन सरोगेसी" पद से ऐसी पद्धित अभिप्रेत है, जिसके द्वारा सरोगेट माता अपनी गर्भाश्य में भ्रूण के गर्भरोपण के माध्यम से आशय रखने वाले दंपित के लिए बालक जन्म देती है और वह बालक सरोगेट माता संबंधी अनुवांशिक नहीं है ।"।

- 21. पृष्ठ 6 पर पंक्ति ७ **के पश्चात्**, निम्नलिखित **अंतःस्थापित** करें, अर्थात् :--
 - "(i) आशय रखने वाले दंपति या आशय रखने वाली महिला जिसे सरोगेसी गर्भधारण की आवश्यकता है, चिकित्सा उपदर्शन की किसी एक या दोनों सदस्यों के पक्ष में जिला चिकित्सीय बोर्ड से चिकित्सा उपदर्शन का प्रमाणपत्र है ।"।
- 22. पृष्ठ 6, पंक्ति 11 में, "इस" शब्द **के स्थान पर** "इस मद" **शब्द** रखें ।
- 23. पृष्ठ 6, पंक्ति 18-20 में, "दंपति" शब्द से आरंभ होने वाले और "और" शब्द पर समाप्त होने वाले भाग **के स्थान पर**, निम्नलिखित **रखें**, अर्थात् :--

"दम्पति या आशय रखने वाली महिला और सरोगेट माता द्वारा, आवेदन किए जाने पर पारित किया गया है, जो कि सरोगेट बालक को जन्म देने के पश्चात् जन्म शपथपत्र के रूप में देना होगा ; और"

24. पृष्ठ 6 पर पंक्ति 25 में, "बीमा कवर" शब्दों **के स्थान पर**, "बीमा कवर और ऐसी रीति में" शब्द **रखें** ।

- 25. पृष्ठ 6 पर पंक्ति 23 में, "सोलह" शब्द **के स्थान पर**, "छतीस" शब्द **रखें** ।
- 26. पृष्ठ 6 पर पंक्ति 33 और 34 के स्थान पर रखें, अर्थात् :-

"(11) एक रजामंद महिला एक सरोगेट माता के रूप में कार्य करेगी और उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सरोगेसी प्रक्रियाओं से गुजरने की अनुमति दी जाएगी :

परंतु आशय रखने वाला दंपति या आशय रखने वाली महिला किसी रजामंद महिला सहित समुचित प्राधिकरण के पास प्रस्ताव रखेगा जो सरोगेट माता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत है ;"।

27. पृष्ठ ७ पर पंक्ति ६ **के पश्चात्** निम्नलिखित **रखें** :

"आशय रखने वाले दंपति विवाहित हों और स्त्री सदस्य की दशा में उसकी आयु प्रमाणन की तारीख को तेईस वर्ष से पचास वर्ष के बीच तथा पुरुष सदस्य की दशा में उसकी आयु छब्बीस वर्ष से पच्चपन वर्ष के बीच है;"।

28. पृष्ठ ७ पर पंक्ति १० का **लोप** करें ।

खंड 5

29. पृष्ठ ७ पर पंक्ति १९ में, "दंपित" शब्द **के स्थान पर**, "दंपित अथवा आशय रखने वाली महिला" शब्द **रखें** ।

खंड ७

- 30. पृष्ठ ७ पर पंक्ति ३० में, "दंपत्ति" शब्द **के स्थान पर**, "दंपत्ति अथवा आशय रखने वाली महिला" शब्द **रखें** ।
- 31. पृष्ठ ७ पर पंक्ति ३४ का **लोप** करें ।

नया खंड ७क

32. पृष्ठ ७, पंक्ति ३४ **के पश्चात् अंतःस्थापित** करें, अर्थात् :-

"7क. सरोगेसी प्रक्रिया से जन्मे बालक को आशय रखने वाला सरोगेट बालक के दंपितत या आशय रखने वाली मिहला का जैविक बालक समझा अधिकार । जाएगा तथा उक्त बालक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्राकृतिक बालक को उपलब्ध सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों का हकदार होगा ।"।

खंड 8

33. पृष्ठ ७ पर पंक्ति ३८ में, "सरोगेट माता में अधिरोपित" शब्दों **के स्थान पर**, "सरोगेट माता के गर्भाशय में अधिरोपित" शब्द **रखें** ।

17.12.2021 820

खंड 13

पृष्ठ 9, पंक्ति 5 से 9 के स्थान पर निम्नलिखित रखें, अर्थात :-34 और

35.

"14. सरोगेसी क्लीनिक या आशय रखने वाला दंपत्ति अथवा आशय रखने वाली महिला, समुचित प्राधिकारी द्वारा धारा 13 के अधीन पारित रजिस्ट्रीकरण के आवेदन के नामंजूर किए जाने, उसके निलंबन या रद्दकरण के आदेश से संबंधित संसूचना और धारा 4 के अधीन प्रमाणपत्र के रद्दकरण से संबंधित संसूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन दिन की अवधि के भीतर, ऐसे आदेश के विरुद्ध, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निम्नलिखित को अपील कर सकेगा -"

नया खंड 13क और 13ख

पृष्ठ 9, पंक्ति 13 के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित करें, अर्थात :-36.

> "13क. इस अधिनियम के अधीन सरोगेसी क्लीनिकों के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन राष्ट्रीय के लिए राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी रजिस्ट्री नामक एक सहायताप्राप्त रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी । प्रजनक प्रौद्योगिकी तथा सरोगेसी रजिस्टी की स्थापना ।

13ख. धारा 14क में निर्दिष्ट और सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा9 राष्ट्रीय के अधीन स्थापित राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी रजिस्ट्री इस सहायताप्राप्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय रजिस्ट्री होगी और सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी प्रजनक अधिनियम के अधीन उक्त रजिस्ट्री द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कृत्य यथावश्यक परिवर्तन प्रौद्योगिकी सहित लागू होंगे ।"। तथा सरोगेसी रजिस्टी *उपबंधों* का

खंड 14

पृष्ठ 9, पंक्ति 15 से 18 के स्थान पर निम्नलिखित रखें :--37.

> "राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड तथा राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड

> 14. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा एक बोर्ड का गठन करेगी, जो राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के नाम से ज्ञात होगा और जो अधिनियम के अधीन बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निष्पादन करेगा ।"।

राष्ट्रीय सहायता प्राप्त प्रजनक प्रौद्योगिकी तथा सरोगेसी बोर्ड का गठन ।

के

आवेदन ।

38. पृष्ठ 9, पंक्ति 32 में, "या स्त्री रोग या प्रसूति तंत्र के विशेषज्ञ" शब्दों का **लोप** करें ।

खंड 15

39. पृष्ठ 10, पंक्ति 11 "एक" **के स्थान पर** "तीन" **रखें** ।

खंड 22

40. पृष्ठ 12, पंक्ति 10 में "राज्य सरोगेसी बोर्ड" शब्दों **के स्थान पर** "राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी रजिस्ट्री" शब्द **रखें** ।

खंड 23

41. पृष्ठ 12, पंक्ति 12 से 14 **के स्थान पर** निम्नलिखित **रखें**,--

"23. प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र, जिसका विधान-मंडल है, यथास्थिति, राज्य राष्ट्रीय सहायता सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र सहायताप्राप्त प्राप्त प्रजनक जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड" । प्रौद्योगिकी तथा सरोगेसी बोर्ड का गठन ।

खंड 24

42. पृष्ठ 12 में पंक्ति 33 और 34 में, "या स्त्री रोग या प्रस्ति तंत्र के विशेषज्ञ" शब्दों का **लोप** करें।

खंड 25

43. पृष्ठ 13, पंक्ति 11 में, "एक" शब्द **के स्थान पर**, "तीन" शब्द **रखें** ।

खंड 32

- 44. पृष्ठ 14, पंक्ति 37 में "द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र" के स्थान पर "इस अधिनियम और सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।
- 45. पृष्ठ 14, पंक्ति 40 में "अधिनियम" **के स्थान पर** "अधिनियम और सहायताप्राप्त जननीय प्रौदोगिकी अधिनियम" **रखें** ।
- 46. पृष्ठ 15, पंक्ति 3 के पश्चात् अंत:स्थापित करें :
 - "(i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के रैंक का काई अधिकारी अध्यक्ष, पदेन;"
- 47. पृष्ठ 15, पंक्ति ७ में "अध्यक्ष" **के स्थान पर** "उपाध्यक्ष, पदेन" **रखें** ।

48. पृष्ठ 16, पंक्ति 7 और 8 में "राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड" **के स्थान पर** "राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड" **रखें** ।

खंड 37

- 49. पृष्ठ 17, पंक्ति 8 के पार्श्वशीर्ष **के स्थान पर**, "निस्वार्थ सरोगेसी का अनुसरण नहीं करने के लिए दंड" शब्द **रखें** ।
- 50. पृष्ठ 17, पंक्ति 9 में "युगल" **के स्थान पर** "युगल या आशय रखने वाली महिला" **रखें** ।
- 51. पृष्ठ 17, पंक्ति 11 में "व्यक्ति से" **के स्थान पर** "व्यक्ति से निस्वार्थ सरोगेसी का अनुसरण नहीं करने के लिए" **रखें** ।

खंड 47

- 52. पृष्ठ 18, पंक्ति 33 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंतःस्थापित** करें, अर्थात् :--
 - "(क) धारा २ की उपधारा (1) के खंड (ख), खंड (च) और खंड (थ) के अधीन विहित व्यय :" ।
- 53. पृष्ठ 18, पंक्ति 36 में "वह रीति" के स्थान पर, "वह अवधि और वह रीति" रखें ।
- 54. पृष्ठ 18, पंक्ति 37 के पश्चात् अंतःस्थापित करें :
 - "(खक) धारा 4 के खंड (İİ) के उपखंड (क) के परंतुक के अधीन बोर्ड से सिफारिश का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन का प्ररूप और रीति ।"।
- 55. पृष्ठ 19, पंक्ति 2 **के स्थान पर**, "में किसी बीमा कंपनी के बीमा कवर और ऐसे कवर की रीति;" **रखें** ।
- 56. पृष्ठ 19, पंक्ति ७ में, "सरोगेट माता में रोपित" शब्दों **के स्थान पर**, "सरोगेट माता के गर्भाशय में रोपित" शब्द **रखें** ।
- 57. पृष्ठ 19, पंक्ति ७ में, "राज्य और संघ राज्यक्षेत्र बोर्डों" के स्थान पर "राज्य सहायताप्रास जननीय प्रौद्योगिकी जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड तथा संघ राज्यक्षेत्र सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड" रखें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापित: संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखने से पूर्व मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि राज्य सभा ने संशोधन संख्या 32 के द्वारा खंड 7क तथा संशोधन संख्या 36 के द्वारा दो नए खंड 13क तथा 13ख लोक सभा द्वारा यथा पारित सरोगेसी विनियमन विधेयक, 2019 में जोड़े हैं।

इस संबंध में मैं आपका ध्यान निदेश 31 की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जो यह प्रावधान करता है कि जब किसी विधेयक में एक नया खंड अंत:स्थापित करने का संशोधन सभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो अध्यक्ष प्रश्नों को इस प्रकार रखेगा कि नया खंड विधेयक में जोड़ दिया जाए।

अत: मैं संशोधन संख्या 32 तथा 36 अलग-अलग सभा के मतदान के लिए रखूँगा। इन संशोधनों को स्वीकृत हो जाने पर मैं इन संशोधनों द्वारा जोड़े जा रहे नए खंडों को भी सभा के मतदान के लिए रखूँगा।

अब मैं राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन संख्या 1 से 31 को सभा के मतदान के लिए रखता हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

विधेयक का पूरा नाम

1. पृष्ठ १ में, "राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड, राज्य सरोगेसी बोर्डी" शब्दों **के स्थान पर**, "राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्डी" शब्द **रखें** ।

अधिनियमन सूत्र

2. पृष्ठ 1 पर पंक्ति 1 में, "सत्तरवें" शब्द के स्थान पर, "बहत्तरवें" शब्द रखें ।

खंड 1

3. पार्श्व शीर्ष में, "संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ" शब्दों **के स्थान पर**, "संक्षिप्त नाम और प्रारंभ" शब्द **रखें** ।

- 4. पृष्ठ 1 पर पंक्ति 4 में, "2020" अंकों **के स्थान पर**, "2021" अंक **रखें** ।
- 5. पृष्ठ 1 पर पंक्ति 5 का **लोप** करें ।

खंड 2

- 6. पृष्ठ २ पर पंक्ति ६ में, "व्ययों" शब्द **के स्थान पर**, "और ऐसे अन्य विहित व्ययों" शब्द **रखें** ।
- 7. पृष्ठ २ पर पंक्ति १ के पश्चात् अंतःस्थापित करें, अर्थात् :-'(गक) "सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी अधिनियम" से सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 अभिप्रेत है;'।
- 8. पृष्ठ २ पर पंक्ति १० में "राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड" शब्दों **के स्थान पर**, "राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड" शब्द **रखें** ।
- 9. पृष्ठ २ पर पंक्ति 16 में "ट्ययों" शब्द **के स्थान पर**, "ट्ययों और ऐसे अन्य विहित ट्ययों" शब्द रखें ।
- 10. पृष्ठ २ पर पंक्ति २५ से पंक्ति २८ के स्थान पर, निम्नलिखित रखें, अर्थात् :--
 - '(ञ) "भ्रूण विज्ञानी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके पास भ्रूण विज्ञान के क्षेत्र में कोई स्नातकोत्तर चिकित्सीय अईता या डाक्टरी है या जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से नैदानिक भ्रूण विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री है और साथ ही कम से कम दो वर्ष का नैदानिक अनुभव है ;'।
- 11. पृष्ठ 3 पर पंक्ति 1 का **लोप** करें ।
- 12. पृष्ठ 3 पर पंक्ति 2 में, "जिसके द्वारा" शब्दों **के स्थान पर**, "जिसके द्वारा चिकित्सीय व्ययों, स्वास्थ्य संबंधी व्ययों" शब्द **रखें** ।
- 13. पृष्ठ 3 पर पंक्ति 5 में, "प्रतिकूल करने" शब्दों **के स्थान पर**, "प्रतिकूल करने और ऐसी सरोगेट माता पर होने वाले ऐसे अन्य विहित व्ययों" शब्द **रखें** ।
- 14. पृष्ठ 3 पर पंक्ति 7 से पंक्ति 9 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें, अर्थात् :-
 - '(द) "आशय रखने वाला दंपति" से ऐसा दंपति अभिप्रेत है, जिसके पास गर्भकालीन सरोगेसी के लिए आवश्यक उपदर्शन है और जो सरोगेसी के माध्यम से माता-पिता बनने का आशय रखता है ;'।
- 15. पृष्ठ 3 पर पंक्ति 9 के पश्चात् अंतःस्थापित करें, अर्थात् :-
 - '(दक) "आशय रखने वाली महिला" से कोई ऐसी भारतीय महिला अभिप्रेत है, जो पैंतीस से पैंतालीस वर्ष की आयु के बीच विधवा हो गई है या जिसका विवाह विच्छेद हो गया है और जो

सरोगेसी का उपयोग करने के लिए आशय रखती है :'।

16. पृष्ठ 3 पर पंक्ति 13 में, "राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड या किसी राज्य सरोगेसी बोर्ड" शब्दों **के स्थान पर**, "राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड या राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड" शब्द **रखें** ।

- 17. पृष्ठ 3, पंक्ति 30 में, "राज्य सरोगेसी बोर्ड" शब्दों **के स्थान पर**, "राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्डी" शब्द **रखें** ।
- 18. पृष्ठ 4 पर पंक्ति 4 से पंक्ति 6 **के स्थान पर**, निम्नलिखित **रखें**, अर्थात :--

'(यछ) "सरोगेट माता" से कोई ऐसी महिला अभिप्रेत है, जो अपनी गर्भाशय में भ्रूण के गर्भरोपण से सरोगेसी के माध्यम से (जो आशय रखने वाला दंपित या आशय रखने वाली महिला संबंधी आनुवंशिक है) किसी बालक को जन्म देने के लिए सहमत है और जो धारा 4 के खंड (İİİ) के उपखंड (ख) में यथा उपबंधित शर्तों को पूरा करता है ;'।

पृष्ठ 4 पर पंक्ति 8 **के पश्चात्** निम्नलिखित **रखें**, अर्थात् :-

19.

"(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किंतु सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में क्रमश: उनके हैं ।"।

खंड 4

20. पृष्ठ 5 पर पंक्ति 23 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंतः स्थापित** करें, अर्थात् :-

"(क) जब आशय रखने वाला दंपति को एक चिकित्सा उपदर्शन होता है जिसमें गर्भकालीन सेरोगेसी की आवश्यकता होती है :

परंतु भारतीय मूल का ऐसा दंपित या आशय रखने वाली ऐसी महिला को, जो सरोगेसी का उपयोग करने के लिए आशय रखती है, ऐसे प्ररुप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उक्त व्यक्तियों द्वारा दिए गए आवेदन पर बोर्ड से सिफारिश का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करना होगा ।

स्पष्टीकरण--इस उपखंड और खंड (iii) के उपखंड (क) की मद (l) के प्रयोजन के लिए, "गर्भकालीन सरोगेसी" पद से ऐसी पद्धित अभिप्रेत है, जिसके द्वारा सरोगेट माता अपनी गर्भाश्य में भूण के गर्भरोपण के माध्यम से आशय रखने वाले दंपित के लिए बालक जन्म देती है और वह बालक सरोगेट माता संबंधी अनुवांशिक नहीं है ।"।

- 21. पृष्ठ 6 पर पंक्ति 7 **के पश्चात्**, निम्नलिखित **अंतःस्थापित** करें, अर्थात् :-
 - "(i) आशय रखने वाले दंपति या आशय रखने वाली महिला जिसे सरोगेसी गर्भधारण की आवश्यकता है, चिकित्सा उपदर्शन की किसी एक या दोनों सदस्यों के पक्ष में जिला चिकित्सीय बोर्ड से चिकित्सा उपदर्शन का प्रमाणपत्र है ।"।
- 22. पृष्ठ 6, पंक्ति 11 में, "इस" शब्द **के स्थान पर** "इस मद" **शब्द** रखें ।
- 23. पृष्ठ 6, पंक्ति 18-20 में, "दंपत्ति" शब्द से आरंभ होने वाले और "और" शब्द पर समाप्त होने वाले भाग **के स्थान पर**, निम्नलिखित **रखें**, अर्थात :--

"दम्पत्ति या आशय रखने वाली महिला और सरोगेट माता द्वारा, आवेदन किए जाने पर पारित किया गया है, जो कि सरोगेट बालक को जन्म देने के पश्चात् जन्म शपथपत्र के रूप में देना होगा ; और"

- 24. पृष्ठ 6 पर पंक्ति 25 में, "बीमा कवर" शब्दों **के स्थान पर**, "बीमा कवर और ऐसी रीति में" शब्द रखें ।
- 25. पृष्ठ 6 पर पंक्ति 23 में, "सोलह" शब्द **के स्थान पर**, "छत्तीस" शब्द **रखें** ।
- 26. पृष्ठ 6 पर पंक्ति 33 और 34 के स्थान पर रखें, अर्थात् :-
 - "(11) एक रजामंद महिला एक सरोगेट माता के रूप में कार्य करेगी और उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सरोगेसी प्रक्रियाओं से गुजरने की अनुमति दी जाएगी :

परंतु आशय रखने वाला दंपित या आशय रखने वाली महिला किसी रजामंद महिला सिहत समुचित प्राधिकरण के पास प्रस्ताव रखेगा जो सरोगेट माता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत है ;"।

27. पृष्ठ ७ पर पंक्ति ६ **के पश्चात्** निम्नलिखित **रखें** :

"आशय रखने वाले दंपित विवाहित हों और स्त्री सदस्य की दशा में उसकी आयु प्रमाणन की तारीख को तेईस वर्ष से पचास वर्ष के बीच तथा पुरुष सदस्य की दशा में उसकी आयु छब्बीस वर्ष से पच्चपन वर्ष के बीच है;"।

28. पृष्ठ ७ पर पंक्ति १० का **लोप** करें ।

खंड 5

29. पृष्ठ ७ पर पंक्ति १९ में, "दंपति" शब्द **के स्थान पर**, "दंपति अथवा आशय रखने वाली महिला" शब्द रखें ।

खंड ७

- 30. पृष्ठ ७ पर पंक्ति ३० में, "दंपित" शब्द **के स्थान पर**, "दंपित अथवा आशय रखने वाली महिला" शब्द **रखें** ।
- 31. पृष्ठ ७ पर पंक्ति ३४ का **लोप** करें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति: अब मैं राज्य सभा द्वारा किए गए नए खंड 7क का अंत:स्थापन करने वाले संशोधन संख्या 32 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न यह है:

नया खंड ७क

32. पृष्ठ ७, पंक्ति ३४ **के पश्चात् अंतःस्थापित** करें, अर्थात् :-

"7क. सरोगेसी प्रक्रिया से जन्मे बालक को आशय रखने वाला सरोगेट बालक के दंपित्त या आशय रखने वाली मिहला का जैविक बालक समझा अधिकार । जाएगा तथा उक्त बालक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्राकृतिक बालक को उपलब्ध सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों का हकदार होगा ।"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

" नया खंड 7क विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ नया खंड 7क विधेयक में जोड़ दिया गया।

माननीय सभापति: अब मैं राज्य सभा द्वारा किए संशोधन संख्या 33 से 35 को सभा के मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है:

35.

खंड 8

33. पृष्ठ ७ पर पंक्ति ३८ में, "सरोगेट माता में अधिरोपित" शब्दों **के स्थान पर**, "सरोगेट माता के गर्भाशय में अधिरोपित" शब्द **रखें** ।

खंड 13

34 और पृष्ठ 9, पंक्ति 5 से 9 के स्थान पर निम्नलिखित रखें, अर्थात् :-

"14. सरोगेसी क्लीनिक या आशय रखने वाला दंपित्त अथवा आशय रखने वाली मिहला, समुचित प्राधिकारी द्वारा धारा 13 के अधीन पारित रिजस्ट्रीकरण के आवेदन के नामंजूर किए जाने, उसके निलंबन या रद्दकरण के आदेश से संबंधित संसूचना और धारा 4 के अधीन प्रमाणपत्र के रद्दकरण से संबंधित संसूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन दिन की अवधि के भीतर, ऐसे आदेश के विरुद्ध, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निम्नलिखित को अपील कर सकेगा -"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति: अब मैं राज्य सभा द्वारा किए गए नए खंड 13क और 13ख का अंत:स्थापन करने वाले संशोधन संख्या 36 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"नया खंड 13क और 13ख

पृष्ठ 9, पंक्ति 13 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें, अर्थात्:-

36. "13क. इस अधिनियम के अधीन सरोगेसी क्लीनिकों के रिजस्ट्रीकरण के प्रयोजन के राष्ट्रीय सहायताप्राप्त लिए राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी रिजस्ट्री नामक एक प्रजनक प्रौद्योगिकी रिजस्ट्री की स्थापना की जाएगी।

रजिस्ट्री की स्थापना।

13ख. धारा 4के में निर्दिष्ट और सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा राष्ट्रीय सहायताप्राप्त 9 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी रजिस्ट्री प्रजनक प्रौद्योगिकी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय रजिस्ट्री होगी और सहायताप्राप्त जननीय सरोगेसी रजिस्ट्री के प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन उक्त रजिस्ट्री द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कृत्य उपबंधों का आवेदन । यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे । "।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

कि नया खंड 13क और 13ख विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 13क और 13ख विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय सभापति: अब मैं राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन संख्या 37 से 57 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं

प्रश्न यह है:

"खंड 14

37. पृष्ठ 9, पंक्ति 15 से 18 के स्थान पर निम्नलिखित रखें :--

"राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड तथा राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड

14. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा एक बोर्ड का गठन राष्ट्रीय करेगी, जो राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी सहायता प्राप्त बोर्ड के नाम से ज्ञात होगा और जो अधिनियम के अधीन बोर्ड प्रजनक को प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग और कृत्यों का निष्पादन करेगा ।" प्रौद्योगिकी तथा सरोगेसी बोर्ड का गठन ।

38. पृष्ठ 9, पंक्ति 32 में, "या स्त्री रोग या प्रसूति तंत्र के विशेषज्ञ" शब्दों का **लोप** करें।

खंड 15

39. पृष्ठ 10, पंक्ति 11 "एक" **के स्थान पर** "तीन" **रखें** ।

खंड 22

40. पृष्ठ 12, पंक्ति 10 में "राज्य सरोगेसी बोर्ड" शब्दों **के स्थान पर** "राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी रजिस्ट्री" शब्द **रखें** ।

खंड 23

- 41. पृष्ठ 12, पंक्ति 12 से 14 के स्थान पर निम्नलिखित रखें,--
 - "23. प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र, जिसका विधान-मंडल है, राष्ट्रीय सहायता प्राप्त यथास्थिति, राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी बोर्ड या प्रजनक प्रौद्योगिकी संघ राज्यक्षेत्र सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और तथा सरोगेसी बोर्ड सरोगेसी बोर्ड"।

 का गठन ।

खंड 24

42. पृष्ठ 12 में पंक्ति 33 और 34 में, "या स्त्री रोग या प्रस्ति तंत्र के विशेषज्ञ" शब्दों का **लोप** करें ।

खंड 25

43. पृष्ठ 13, पंक्ति 11 में, "एक" शब्द **के स्थान पर**, "तीन" शब्द **रखें** ।

खंड 32

- 44. पृष्ठ 14, पंक्ति 37 में "द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र" के स्थान पर "इस अधिनियम और सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।
- 45. पृष्ठ 14, पंक्ति 40 में "अधिनियम" **के स्थान पर** "अधिनियम और सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी अधिनियम" **रखें** ।
- 46. पृष्ठ 15, पंक्ति 3 के पश्चात् अंतःस्थापित करें :
 - "(i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के रैंक का काई अधिकारी अध्यक्ष, पदेन;"
- 47. पृष्ठ 15, पंक्ति ७ में "अध्यक्ष" के स्थान पर "उपाध्यक्ष, पदेन" रखें ।

खंड 34

48. पृष्ठ 16, पंक्ति ७ और ८ में "राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड" के स्थान पर "राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड" रखें ।

खंड 37

- 49. पृष्ठ 17, पंक्ति 8 के पार्श्वशीर्ष **के स्थान पर**, "निस्वार्थ सरोगेसी का अनुसरण नहीं करने के लिए दंड" शब्द **रखें** ।
- 50. पृष्ठ 17, पंक्ति 9 में "युगल" **के स्थान पर** "युगल या आशय रखने वाली महिला"

रखें ।

51. पृष्ठ 17, पंक्ति 11 में "व्यक्ति से" के स्थान पर "व्यक्ति से निस्वार्थ सरोगेसी का अनुसरण नहीं करने के लिए" रखें ।

खंड ४७

- 52. पृष्ठ 18, पंक्ति 33 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंतःस्थापित** करें, अर्थात् :--
 - "(क) धारा २ की उपधारा (1) के खंड (ख), खंड (च) और खंड (थ) के अधीन विहित व्यय :" ।
- 53. पृष्ठ 18, पंक्ति 36 में "वह रीति" के स्थान पर, "वह अविध और वह रीति" रखें ।
- 54. पृष्ठ 18, पंक्ति 37 के पश्चात् अंतःस्थापित करें :
 - "(खक) धारा 4 के खंड (ii) के उपखंड (क) के परंतुक के अधीन बोर्ड से सिफारिश का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन का प्ररूप और रीति ।"।
- 55. पृष्ठ 19, पंक्ति 2 के स्थान पर, "में किसी बीमा कंपनी के बीमा कवर और ऐसे कवर की रीति;" रखें ।
- 56. पृष्ठ 19, पंक्ति ७ में, "सरोगेट माता में रोपित" शब्दों **के स्थान पर**, "सरोगेट माता के गर्भाशय में रोपित" शब्द **रखें** ।
- 57. पृष्ठ 19, पंक्ति **7** में, "राज्य और संघ राज्यक्षेत्र बोर्डों" के स्थान पर "राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड तथा संघ राज्यक्षेत्र सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड रखें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति: अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि लोक सभा द्वारा यथा पारित, सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 में राज्य सभा द्वारा पारित किए संशोधनों पर यह सभा सहमत है।

DR. BHARATI PRAVIN PAWAR: Sir, I beg to move:

"That the amendments made by Rajya Sabha in the Bill be agreed to."

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सभा सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, चूंकि विधेयक में कुछ नए खंड जोड़े गए हैं, इसलिए मैं निर्देश देता हूं कि परवर्ती खंडों का तद्नुसार यथापेक्षित पुन: नामांकन कर दिया जाए।

माननीय सभापति: प्लीज़, आप बैठ जाइए।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति: कृपा करके अपनी सीट पर जाइए।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति: यह उचित नहीं है।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति: कार्यवाही में सहयोग कीजिए।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति: आपने ध्यान नहीं दिया, बहुत महत्वपूर्ण कार्य लोकसभा द्वारा निष्पादित किया गया है।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति: प्लीज़, कोआपरेट कीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनाँक 20 दिसम्बर, 2021 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

14.22 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, December 20, 2021/Agrahayana 29, 1943 (Saka)

<u>INTERNET</u>

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

 $\underline{\text{http://www.parliamentofindia.nic.in}}$

http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixteenth Edition)